रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 1980 (पौष 15, 1901)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1980 (PAUSA 15, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . 1

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . 1

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 1

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 1

भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1

भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 1

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं

भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . 1

भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 1

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	1
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	1
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	1

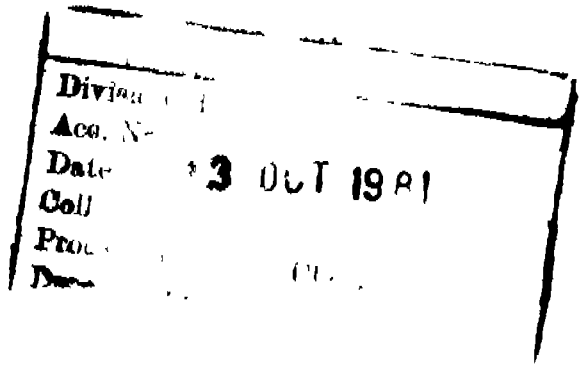

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी, 1978

सं० 75—प्रेज/79—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी असाधारण कर्त्तव्य परायणता अथवा साहस के कार्यों के लिये "सेना मैडल"/"आर्मी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर परमजीत सिंह (आई० सी० 15804) आर्टीलरी

मेजर परमजीत सिंह मार्च, 1976 से एक एयर आपरेशन यूनिट के फ्लाईट कमांडर हैं । 12 अप्रैल, 1977 को 16,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक अपरीक्षित हैलीपैड से थलसेना कंचनजुंगा अभियान दल के दो घायल सदस्यों को बचाने का काम मेजर सिंह को सौंपा गया । वर्षा, हिमपात और धूंध के कारण पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भरना बहुत ही खतरनाक काम था । मेजर सिंह ने 12 अप्रैल, 1977 को इन घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए दो बार भरसक प्रयत्न किया परन्तु खराब मौसम के कारण असफल रहे । 13 अप्रैल, 1977 को खराब मौसम के बावजूद इस अपरीक्षित हैलीपैड पर उतरने में सफल हुए और दोनों घायलों को सुरक्षित ले आये जिन्हें तुरन्त चिकित्सा की आवश्यकता थी ।

इस कार्य में मेजर परमजीत सिंह ने असाधारण कोटि का साहस, व्यावसायिक कुशलता और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. मेजर मोहिन्दर सिंह खेड़ा (आई सी० 18177) इंजीनियर

मेजर मोहिन्दर सिंह खेड़ा एक विद्युत तथा यांत्रिकी कम्पनी के कमांडिंग अफसर हैं । ढांसा बांध को ऊंचा करने के काम को दिन-रात चलता रहने के लिए 3 अगस्त, 1977 को इस 7000 फुट लम्बे बांध पर बिजली लगाने का काम मेजर खेड़ा को सौंपा गया । इस कार्य को उन्होंने निर्धारित समय में पूरा करके कार्यदल के लिए दिन-रात कार्य करना संभव कर दिया और दिल्ली को बाढ़ की तबाही से बचा लिया ।

5 अगस्त, 1977 को 5.50 बजे मेजर खेड़ा को पता लगा कि ढांसा बांध में 100 फुट लम्बी दरार आ गई है । उन्होंने इस विकट स्थिति को भांप लिया और अपने साथ एक छोटा कार्यदल लिया और दो घंटे में दरार की मरम्मत करके एक रिकार्ड कायम किया । दरार की मरम्मत करके उन्होंने न केवल ढांसा बांध को बचा लिया बल्कि इस दरार से होने वाली जान माल की भारी क्षति से भी दिल्ली को बचा लिया ।

इस कार्य में मेजर मोहिन्दर सिंह खेड़ा ने असाधारण कोटि की व्यावसायिक कुशलता, साहस और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

3. मेजर कंवर सिंह शर्मा (आई० सी०-17819) राजपूताना राईफल्स ।

जुलाई 1977 में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण साहिबी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी । जिससे राजस्थान, हरियाणा और संघ शासित प्रदेश दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया था । बाढ़ नियंत्रण से बाहर थी और इससे ढांसा में मिट्टी के बांध को टूटने का खतरा पैदा हो गया था । ढांसा बांध ही पश्चिमी दिल्ली के शहरी और देहाती क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचा सकता था । यह बांध बुरी तरह कट गया था तथा इसके बहने का भारी खतरा पैदा हो गया था । पानी का स्तर इस बांध के ऊपरी किनारे से केवल नौ इंच नीचे रह गया था और इस प्रकार एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी जिसपर काबू पाने के लिए तुरन्त कोई ठोस उपाय करना बहुत जरूरी था । इस विकट स्थिति में सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए राजपूताना राईफल्स की एक कम्पनी के कमान अफसर मेजर कंवर सिंह शर्मा को भेजा गया । 3 अगस्त, 1977 को उनकी कम्पनी को बांध का 300 फुट हिस्सा 3 फुट ऊंचा उठाने के लिए कहा गया । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने इस काम को तत्काल शुरू कर दिया । लगातार वर्षा हो रही थी परन्तु उन्होंने अपने आदमियों को निरन्तर काम पर लगाए रखा और 10 घंटे में इस काम को पूरा करके दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र को संभावित बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया ।

8 अगस्त, 1977 को पानी की लहरों से बांध पूरी तरह कट गया था और पानी के निरन्तर बढ़ते हुए दबाव से बांध के बहने का खतरा फिर से पैदा हो गया था । मेजर शर्मा के मार्गदर्शन में उनके आदमी फिर पूरे उत्साह के साथ इस काम पर जुट गए और निरन्तर हो रही वर्षा में 12 घंटे लगातार काम करके उन्होंने इस बांध को बहने से बचा लिया ।

इस प्रकार मेजर कंवर सिंह शर्मा ने असाधारण कोटि के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय, नेतृत्व और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

4. मेजर परमजीत सिंह पम्मी (आई० सी० 12324) इंजीनियर

सफरमैनों का काम करने वाले अफसरों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अच्छे नाविक के रूप में उच्च स्तरीय काम की जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक और वापस बम्बई तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई थी । यह यात्रा "दी अलबट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल नाव में आयोजित की गई थी । मेजर परमजीत सिंह पम्मी और कैप्टन के० सुधाकर राव ने इस नाव में आवश्यक फेर-बदल करके उसे समुद्री यात्रा के लायक बनाया और इस अभियान का संगठन करने तथा कर्मीदल को प्रशिक्षित करने की मुख्य जिम्मेवारी इन्हीं अफसरों को सौंपी गई । नौका 19 अक्टूबर को बम्बई से रवाना हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को वापस बम्बई पहुंची ।

बम्बई से ईरान जाते समय परमजीत सिंह पम्मी कर्मी-दल के कप्तान थे । यह एक तरफ की यात्रा लगभग 3,500 कि० मी० लम्बी थी । मार्ग में यह नाव द्वारका, करांची और रास-ए-जस्क पर रुकी । यात्रा के दौरान कई बार समुद्र में तूफान उठा और प्रतिकूल हवाएं चलीं । लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी मेजर पम्मी ने साहस नहीं खोया और उच्च नौवहन तथा कुशल नाविक का परिचय देते हुए अपनी नाव को सकुशल आगे बढ़ाते रहे । यह नौका-यात्रा आधुनिक भारतीय पाल-नाव चालन के इतिहास में जहां एक बहुत महत्व-पूर्ण घटना बन गई है, वहां इस यात्रा ने भारत ईरान के बीच एक सद्भाव-यात्रा का भी काम किया है और उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हुए हैं ।

इस प्रकार मेजर परमजीत सिंह पम्मी ने असाधारण साहस, संकल्प और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है ।

5. कैप्टन मदनगोपाल (आई० सी० 29714) गोरखा राईफल्स

कैप्टन मदन गोपाल मिजोरम में तैनात थे । 5 दिसम्बर, 1976 को इन्हें सूचना मिली कि जंगल में कुछ विद्रोहियों के छिपे होने की संभावना है । ये इस इलाके में छापा मारने के लिए खुद तैयार हो गए और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इन्होंने उस बीहड़ और भयावह घाटी में छिपे विद्रो-हियों की खोज शुरू कर दी और कुछ देर में उनका पता लगा लिया । इस अचानक छापे से भयभीत विद्रोहियों ने अन्धाधुन्ध गोला-बारी शुरू कर दी । जवाब में कैप्टन गोपाल की टुकड़ी ने भी गोली चलाई जिससे डरकर मिजो विद्रोही भागकर जंगल में छिपने लगे । कैप्टन गोपाल ने झपट कर एक विद्रोही को धर पकड़ा और काफी गुत्थमगुत्था करने के बाद उस पर काबू पा लिया । इस मुठभेड़ में दो और विद्रोही मारे गए और कुछ हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुए ।

इस कार्रवाई में कैप्टन मदन गोपाल ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय, नेतृत्व और असाधारण कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

6. कैप्टन लाल चन्द (एस० एस० 25905) राजपूताना राईफल्स ।

कैप्टन लाल चन्द को 2 नवम्बर, 1976 को हथियारों से लैस 70 मिजो विद्रोहियों के एक गिरोह को रोकने का काम सौंपा गया । यह गिरोह एक पड़ोसी देश में भाग निक-लने की कोशिश कर रहा था रास्ते भर खतरनाक और बीया वान जंगल था । इस खतरनाक इलाके से अपनी प्लाटून को ले जाते हुए ये 3 नवम्बर, 1976 को मिजोरम के एक गांव में स्थित विद्रोहियों के कैम्प के निकट पहुंचे । स्थिति का जायजा लेकर इनकी प्लाटून ने छिपे विद्रोहियों पर बिजली की तेजी से आक्रमण किया । इसमें चार विद्रोही मारे गए और आठ घायल हो गए । विद्रोहियों ने भी भारी मात्रा में और सही निशाने पर गोली-बारी की जिससे एक नान-कमीशन अफसर मारा गया और एक जूनियर कमीशन अफसर घायल हुआ । इस क्षति से विचलित हुए बगैर कैप्टन लाल चन्द अपने चन्द साथियों के साथ हथियारों से लैस 70 विद्रोहियों के उस मजबूत गिरोह पर आक्रमण करते रहे जिसके फलस्वरूप विद्रोहियों को अपने मृत साथियों और हथि-यारों को छोड़ कर जंगल में भागना पड़ा । कैप्टन लाल चन्द ने अपने साथियों में अनुकरणीय सहयोग की भावना पैदा की और मृत नान-कमीशन अफसर तथा बुरी तरह घायल जूनियर कमीशन अफसर को वापस ले आये जिन्हें बाद में हवाई जहाज द्वारा चिकित्सा के लिए भेज दिया गया ।

इस प्रकार कैप्टन लाल चन्द ने, साहस, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

7. कैप्टन किरण इन्द्र कुमार (आई० सी० 19067) पैरा ।

कैप्टन किरण इंद्र कुमार भारतीय मिलिट्री अकादमी लियो-पग्यालि पर्वतारोहण अभियान, 1967, भारतीय एयर कांगड़ी पर्वतारोहण अभियान, 1970, भारत-भूटान कांसरी पर्वत-शृंखलारोहण अभियान, 1971, भारत-ब्रिटेन चांगबांग पर्वता-रोहण अभियान, 1974 और नन्दादेवी पर्वतारोहण अभियान, 1976 के सदस्य थे । इन्होंने भारत-भूटान संगकर दक्षिण पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व भी किया ।

कंचन जुंगा पर्वतारोहण अभियान, 1977 के सदस्य के रूप में कैप्टन कुमार को इस अभियान के लिए भोजन की व्यवस्था और उसको पैकिंग करने का काम सौंपा गया जिसे इन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर दिखाया । कैंप-2 की स्था-पना के बाद इन्हें रिज के टेढ़े मोड़ पर रास्ता बनाने का खतर-नाक काम सौंप गया । इन्होंने काम करके अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और अपेक्षित स्थान पर रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली । इसके बाद जब अपना रस्सा नीचे उतार रहे थे तो इनका एक साथी हवलदार सुखबिन्दर सिंह फिसलकर एक खड़ी चट्टान पर गिर गया और उनकी

मृत्यु हो गई । बंधे हुए रस्से से हवलदार सुखबिन्दर सिंह को छुड़ाने के प्रयास में इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किये बगैर रस्सा लांघ कर छलांग लगा दी ।

हवलदार सुखबिन्दर सिंह की मृत्यु के बाद दल के अधिकांश सदस्यों का मनोबल काफी गिर गया था । कैप्टन कुमार ने इस स्थिति को भांप लिया और उस घातक रिज पर मार्ग बनाने का काम स्वयं फिर शुरु कर दिया । इन्होंने कैम्प-3 की स्थापना करके कैम्प-4 की ओर काफी दूर तक रास्ता बना दिया । इसके बाद मेजर पुष्कर चन्द इनकी सहायता के लिए आए । लेकिन कैम्प-3 में पहुंचते ही मेजर पुष्कर चन्द बीमार पड़ गए और उन्हें नीचे लाना पड़ा लेकिन कैप्टन कुमार ने वहीं ठहरने की इच्छा प्रकट की । कुछ दिन बाद कैप्टन कुमार फिर वापस रिज पर आए और कैम्प-4 की स्थापना करने के बाद इन्होंने कैम्प-5 का रास्ता भी तैयार कर दिया जबकि ये पेट की तकलीफ से काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे । यह इन्हीं की लगन और साहस का फल था कि इनका दल अपेक्षित प्रगति करने में सफल रहा । रिज पर मेजर प्रेम चन्द को सौंपा गया काम भी इन्होंने स्वयं और बखूबी पूरा किया । कैप्टन कुमार की शिखर पर जाने वाले दूसरे दल का सदस्य चुना गया । इन्होंने शिखर पर जाने वाले पहले दल की कैम्प-6 में सहायता की इन्हें दूसरे प्रयास के लिए शिखर की ओर बढ़ना था परन्तु इस बीच भारी मानसूनी वर्षा की संभावना बन जाने से अभियान दल के नेता ने इन्हें वापस बुला लिया क्योंकि इस वर्षा में पूरे दल के वहां फंस जाने का खतरा पैदा हो गया था ।

इस प्रकार कैप्टन किरण इन्द्र कुमार ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

8 कैप्टन राम भरोसे सिंह विष्ट (आई० सी० 16979) आर्मी आर्डनेंस कोर ।

7 मई, 1976 को सैंट्रल आर्डनेंस, जबलपुर, के गोला बारूद सब डिपो के एक बारूद खाने में विस्फोट हो गया था। उस बारूद खाने में बड़ी मात्रा में कई किस्म के विस्फोटक थे। विस्फोटक होने से उस बारूदखाने को काफी क्षति पहुंची। इस दुर्घटना के समय बारूद-खाने के भीतर के दोनों व्यक्तियों अर्थात कम्बेटेण्ट और सिविलियन मजदूर की तत्काल मृत्यु हो गई । बारूद-खाने और गलियारे में बिना फटे विस्फोटक और फ्यूज बिखरे पड़े थे । कुछ बिना फटे विस्फोटक फ्यूज मलबे तथा टूटी हुई छत और दिवार के ढेलों के नीचे पड़े थे और उनकी वजह से बाहर के पूरे क्षेत्र और बारूद-खाने में खतरा बना हुआ था।

बारूद-खाने की सफाई का काम जोखिमपूर्ण था और इसके लिए स्लेबों और ढेलों को हटाने के लिए यंत्रों की सहायता की जरूरत थी । कैप्टन राम भरोसे विष्ट इस बारूद-खाने को साफ करने वाले दल के सदस्य थे। इन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना इस सफाई कार्य का संचालन किया और वहां से गोला-बारूद हटाने में सफल रहे। विस्फोटक सामान को हटाने का अधिकांशतः कार्य कैप्टन विष्ट ने स्वयं किया ।

कैप्टन राम भरोसे सिंह विष्ट ने इस कार्रवाई में महान साहस, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

9. कैप्टन अशोक कुमार सिंह (आई० सी० 27941) इंजीनियर ।

सफरमैनों का काम करने वाले अफसरों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अच्छे नाविक के रूप में उच्च स्तरीय काम की जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक और वापस बम्बई तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई थी । यह यात्रा "दी अल्बट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल-नाव में आयोजित की गई थी । वह नाव बम्बई से 19 अक्तूबर को चली तथा 19 दिसम्बर, 1977 को लौटी । बम्बई से चलने के समय नाव को इंजीनियर कोर के तीन अफसर चला रहे थे तथा वापसी की यात्रा में तीन अन्य अफसर इसको चला कर लाए ।

लगभग 3500 किलोमीटर की वापसी यात्रा में कैप्टन अशोक कुमार सिंह उस पाल नाव के कर्मीदल के सदस्य थे । नौका ने अपने रास्ते में करांची में लंगर डाला । यात्रा के दौरान जब कई बार नाव खराब मौसम में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चपेट में आ गयी तब कैप्टन सिंह ने सफल नाविक तथा नाव संचालन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इन सभी संकटों में नाव को सुरक्षित उबारने में अपने सहकर्मियों की सहायता की । पाल नाव चालन के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है। इस समुद्री यात्रा ने ईरान की सद्भावना यात्रा का भी कार्य किया तथा उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

इस प्रकार कैप्टन अशोक कुमार सिंह ने असाधारण साहस, दृढ़ निश्चय तथा विशिष्ट कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

10. कैप्टन लव कुमार सिंघल (आई० सी० 19954) इंजीनियर ।

सफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के रूप में उच्च स्तरीय जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई थी । यह यात्रा "दी अल्बट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल-नाव में 19 अक्तूबर से आरम्भ हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को नाव वापस बम्बई पहुंची । जाते समय नाव का संचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधिकारियों ने किया और आते समय उसी कोर के दूसरे तीन अधिकारियों को यह काम सौंपा गया ।

बम्बई से ईरान की लगभग 35 00 किलोमीटर की यात्रा के लिए जाते समय इस नाव का संचालन करने वाले सदस्यों में कैप्टन लव कुमार सिंघल भी थे । रास्ते में इस नाव ने द्वारका, कराची और रास-ए-जस्क में लंगर डाला । यात्रा के दौरान कई बार जब नाव खराब मौसम, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों की चपेट म आ गई तब कैप्टन सिंघल ने सफल नाविक तथा नाव-संचालक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इन सभी संकटों से नाव को सुरक्षित उबारने में अपने सहकर्मियों की सहायता की । पाल-नाव के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । इस समुद्री यात्रा ने ईरान को सद्भाव यात्रा का भी काम किया और उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

कैप्टन लव कुमार सिंघल ने इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़निश्चय तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

11. कैप्टन अमरेश्वर प्रताप सिंह (आई० सी० 25819)

सफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के रूप में उच्च स्तरीय जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई । यह यात्रा "दी अल्बट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल-नाव में 19 अक्तूबर को बम्बई से आरम्भ हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को नाव वापस बम्बई पहुंची । जाते समय नाव का संचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधिकारियों ने किया और आते समय उसी कोर के दूसरे तीन अधिकारियों को यह काम सौंपा गया ।

बम्बई से ईरान की लगभग 3500 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए जाते समय इस नाव का संचालन करने वाले सदस्यों में कैप्टन अमरेश्वर प्रताप सिंह भी थे । रास्ते में इस नाव ने द्वारका, कराची और रास-ए-जस्क में लंगर डाला । यात्रा के दौरान कई बार जब नाव खराब मौसम, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों की चपेट में आ गई तब कैप्टन प्रताप सिंह ने सफल नाविक तथा नाव-संचालक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और सभी संकटों से नाव को सुरक्षित उबारने में अपने सहकर्मियों की सहायता की । पाल नाव चालन के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । इस समुद्री यात्रा ने ईरान की सद्भावना यात्रा का भी काम किया और उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

इस प्रकार कैप्टन अमरेश्वर प्रताप सिंह ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

12. कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह बेदी (आई० सी० 25414) इंजीनियर ।

सफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के रूप में उच्च स्तरीय काम की जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई । यह यात्रा "दी अल्बट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल-नाव में 19 अक्तूबर को बम्बई से आरम्भ हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को नाव वापस बम्बई पहुंची । जाते समय नाव का संचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधिकारियों ने किया और आते समय उसी कोर के दूसरे तीन अधिकारियों को यह काम सौंपा गया ।

वापसी में इस नाव को 3500 किलोमीटर का सफर करना पड़ा और कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह बेदी उन कर्मचारियों में से एक थे जिन्होंने इस नाव पर वापसी के समय काम किया । अपनी इस यात्रा में नाव को मजबूरन कराची बन्दरगाह पर भी रुकना पड़ा । कई बार जब नाव खराब मौसम, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों की चपेट में आ गई तब कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह बेदी ने सफल नाविक तथा नाव-संचालन के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इन सभी संकटों में नाव को सुरक्षित उबारने मे अपने सहकर्मियों की सहायता की । नौचालन के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । इस समुद्री यात्रा ने ईरान की एक सद्भावना यात्रा का भी काम किया और उस देश के साथ हमारे मधुर संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्व-पूर्ण भूमिका निभाई ।

इस प्रकार कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह बेदी ने असाधारण साहस संकल्प तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

13. कैप्टन कान्तस्वैनी सुधाकर राव (आई० सी० 19038) इंजीनियर ।

सफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के रूप में उच्च स्तरीय काम करने की जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान में बन्दर अब्बास तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई । यह यात्रा "दी अल्बट्रोस" नामक 20 फुट लम्बी पाल नाव में 19 अक्तूबर को बम्बई से आरम्भ हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को नाव बम्बई वापस पहुंची। जाते समय नाव का संचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधि-कारियों ने किया और आते समय उसी कोर के तीन अन्य अधिकारियों को यह काम सौंपा गया ।

वापसी में इस नाव को 3,500 किलोमीटर का सफर करना पड़ा और कराची बन्दरगाह पर भी रुकना पड़ा । इस यात्रा में कर्मीदल का नेतृत्व कैप्टन कान्तस्वैनी सुधारक राव कर रहे थे और खराब मौसम में अपना सफल नाविक तथा नाव संचालक का परिचय देकर अपने सहयोगियों में धैर्य तथा साहस भरा । इस प्रकार वे नाव को उसके ठिकाने तक लाने में सफल रहे । नौचालन के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय घटना है । इस समुद्री यात्रा ने ईरान की एक सद्भावना यात्रा का भी काम किया और उस देश के साथ हमारे मधुर सम्बंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपर्ण भूमिका निभाई ।

इस प्रकार कैप्टन कान्तस्वैनी सुधाकर राव ने असाधारण साहस, संकल्प तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

14. लेफ्टिनेंट चन्द्रसेन दिनकर राव निकम (आई० सी० 30931) इंजीनियर

नवम्बर, 1976 से फरवरी, 1977 तक इलाहाबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर लेफ्टिनेंट चन्द्रसेन दिनकर राव निकम सहायता कार्य में अफसर इन्चार्ज थे । उन्होंने इस मेले में इन कार्यों में समन्वय रखने के दुष्कर तथा कठिन कार्य को बड़ी अच्छी तरह निभाया । इससे पहले इस मेले में इतने यात्री कभी नहीं आए थे । इतनी बड़ी भीड़ के लिए खास कर मेले के पर्व वाले दिनों की भीड़-भाड़ के लिए नावें काफी नहीं थीं । अतः नदी के सारे तट और विशेष रूप से संगम क्षेत्र में खास चौकसी और सतर्कता की जरूरत थी । पर्व की भीड़-भाड़ के दिनों बहुत ठण्ड और मूसलाधार वर्षा के बावजूद ये अपनी सुख-सुविधाओं को छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरन्तर गश्त लगाते रहे और इस प्रकार सहायता कार्य में लगे अपने साथियों को प्रोत्साहित करते रहे। इसका प्रतिफल यह हुआ कि वे चार भयंकर दुर्घटनायें होने से रोक सके और सहायता कार्य में लगे दल ने छिहत्तर व्यक्तियों की प्राण रक्षा की ।

इस प्रकार लेफ्टिनेंट चन्द्रसेन दिनकर राव निकम ने असाधारण साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

15. लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा (एस० एस० 27191 इंजीनियर

दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान तिलक नगर क्षेत्र में जब लगभग 200 मकान लगभग 4 से 5 फुट गहरे पानी में थे, उस समय 6 अगस्त, 1977 को लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा को चार नावों के दल के साथ बचाव कार्यों के लिए वहां भेजा गया । लगभग साढ़े चार बजे शाम को ये तिलक नगर पहुंचे और नागरिकों को उनके सामान के साथ बाढ़ क्षेत्र से बाहर निकालने लगे । अपनी सुख-सुविधाओं को छोड़ते हुए ये रात गए बहुत देर तक और दूसरे सारे दिन काम करते रहे । 7 अगस्त, 1977 को उन्हें तेज बुखार आ गया । इस पर भी ये 7/8 अगस्त, 1977 की आधी रात तक निरन्तर अपने काम पर लगे रहे । इसके बाद तेज बुखार के कारण उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और उन्हें सैनिक अस्पताल में भरती करना पड़ा । 10 अगस्त, 1977 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली ।

11 अगस्त 1977 को उनकी कम्पनी को पालम क्षेत्र में दूसरा काम सौंपा गया था । लेफ्टिनेंट चीमा ने अस्वस्थ होने पर भी इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं पेश की और कुछ ही घंटों में पालम पहुँच गए । दोपहर तक उन्होंने नाव में दो चक्कर लगाए—एक बमनौली से चावला ब्रिज तक और दूसरा अलग-अलग पड़े धुलसिराम पोचनपुर और अम्बई गांव तक । उनके जाने तक पालम क्षेत्र के गांव वालों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा की संगठनात्मक क्षमता और कठिन परिश्रम के कारण असन्तुष्ट गांव वाले चन्द दिनों में ही खुश दिखाई देने लगे । उन्होंने तथा उनके दल के कार्मिकों ने हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम किया । 30 अगस्त, 1977 तक अलग-अलग पड़े गावों में आवागमन जारी रखते हुए सामान और लोगों को नाव द्वारा इधर-उधर लाते ले जाते रहे । उनके अधीनस्थ सहायता दल ने करीब 27,500 व्यक्तियों, 5,000 पैकेटों और 10 टन आवश्यक सामान नाव द्वारा पहुंचाया ।

इस प्रकार लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा ने असाधारण साहस अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

16. जे० सी० 46305-सूबेदार पाण्डुरंग उदगुदे, मराठा लाइट इन्फैंट्री

सूबेदार पाण्डुरंग उदगुदे के नेतृत्व में जब एक गश्ती दल 13 जनवरी, 1977 को जम्मू तथा काश्मीर की एक ऊंची चोटी पर गश्त लगा रहा था, उस समय वह बर्फानी तूफान और भूमि के फिसलन की चपेट में आ गया । दल के सभी सदस्य भारी हिमपात में दब गए । सूबेदार उदगुदे खुद गले तक बर्फ में ढक गए थे । उन्होंने समझदारी से काम लिया और अपने आप को बर्फ से बाहर निकालने में सफल हुए बुरी तरह घायल होने तथा मानसिक आघात पहुंचने पर भी वे तत्काल अपने दल के दूसरे साथियों की खोज में निकल पड़े और एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बचाई ।

इस कार्रवाई में सूबेदार पाण्डुरंग उदगुदे ने सूझ-बुझ असाधारण कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय दिया ।

17. जे० सी० 71724-नायब सूबेदार रघबीर सिंह—सिगनल

उत्तरी क्षेत्र में तैनात सिगनल रेजिमेंट के मुख्यालय में 11 नवम्बर, 1976 की रात्रि को सूचना मिली कि लेह के जनरल अस्पताल में भयंकर आग लग गई है । सूचना मिलते ही भारी रेजिमेंट आग बुझाने के यंत्रों सहित अस्पताल जा पहुंची ।

नायब सूबेदार रघबीर सिंह, उस दल में थे जिसे अस्पताल के गैस प्लांट के पास लगी आग को बुझाने का काम सौंपा गया था । उन्होंने देखा कि जिस गलियारे में गैस प्लांट है उसमें आग लगने वाली है । खतरा देखते हुए और उड़ती हुई जलती छिपटियों और चारों ओर लगी आग के खतरे की परवाह किए बिना वे गलियारे की छत पर चढ़ गए और उन्होंने गलियारे की छत पर रखे हुए गैस प्लांट के टैंक को दूसरे साथियों की सहायता से नीचे खींचा और कुछ दूर पर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया ।

वे फिर छत पर चढ़े तथा अन्य साथियों की मदद से उन्होंने संब्बल से छत को तोड़ा और गैस प्लांटों को छत के ऊपर लगी आग से अलग कर दिया । उनके प्रयत्नों से गैस प्लांट आग लगने से बच गया । यदि ऐसा न होता तो भयंकर दुर्घटना हो जाती ।

इस कार्रवाई में नायब सूबेदार रघबीर सिंह ने असाधारण साहस, अनुकरणीय सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

18 जे० सी०—76881—नायब सूबेदार कुशाल सिंह इंजीनियर

अगस्त, 1977 में दिल्ली में आई० बाढ़ के दौरान सहायता पहुंचाने के लिए नायब सूबेदार कुशाल सिंह को छः नावों की एक प्लाटून की कमान दी गई। 8 अगस्त, 1977 टुकड़ी को लेकर नजफगढ़ सब-डिविजन में खेड़ा के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पहुंच जाएं और अंधेरा होने से पहले वहां काम करना शुरू कर दें। समय थोड़ा होते हुए भी, नायब सूबेदार कुशाल सिंह ने अपनी प्लाटून पूरे उपस्करों सहित जगह-जगह पर टूटी और दो-तीन फुट पानी में डूबी सड़क पर एक घंटे से भी कुछ कम समय में अपनी प्लाटून वहां पहुंचा दी।

घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि खेड़ा गांव के नजदीक का सारा क्षेत्र जल मग्न है और पानी अभी भी बढ़ता जा रहा था, वहां की जनता का हौसला टूट चुका था और वे आंतकित थे गांव वालों की हालत देखते हुए, बढ़ते हुए अंधेरे की परवाह न कर इन्होंने एकदम आदेश दिया कि तीन नाव तत्काल पानी में उतार दी जाएं और गांव वालों को वहां से निकाल लें। वे और उनके साथी रात बहुत देर तक लगातार काम करते रहे और गांव वालों को आंतक मुक्त कर उनमें आत्म विश्वास उगाने में सफल हुए अपनी छोटी सी सैन्य टुकड़ी की सहायता से इन्होंने अगले चार दिनों में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से 2886 व्यक्तियों की पानी से बाहर निकाला और 17.3 टन सूखा राशन और 1.4 टन पका हुआ भोजन बाढ़-ग्रस्त गांवों तक पहुंचाया।

नायब सूबेदार कुशाल सिंह ने इस प्रकार असाधारण पहलशक्ति, साहस, संगठनात्मक क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

19. 1318393 नायब सूबेदार वलाप्पिले वीट्टिल बलन-इंजीनियर

इलाहबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर नवम्बर, 1976 में नायब सूबेदार वलाप्पिले वीट्टिल बलन को यमुना नदी पर बेले पीटून पुल बनाने को कहा गया। उन्होंने पुल को जोड़ने और उसे काम के योग्य बनाने में सहायता दी। बाद में उन्हें पुल पर बिजली लगाने के लिए जूनियर कमीशन अफसर इन्चार्ज बनाया गया। बेली का सामान इस प्रकार का नहीं था जिस पर बिजली की फिटिंग की जा सके। परन्तु अपनी प्रवीणता और पटुता से उन्होंने न्यूनतम उपलब्ध साधनों से बहुत ही कम समय से बिजली लगाने का कामपूरा पकर दिया। कुम्भ मेले के पर्व के दिनों उन्होंने यमुना नदी में बचाव कार्य करने वालों की सहायता की। खराब मौसम में अपनी पहल और खुद काम करने के लिए आगे आकर उन्होंने अनुकरणीय काम करने के लिए बचाव दल के अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित किया। बिजली से चलने वाली नावों की नियमित और समय पर मरम्मत कर उन्होंने नावों को हर समय काम करने योग्य बनाए रखा।

इस प्रकार नायब सूबेदार वलाप्पिले वीट्टिल बलन ने असाधारण व्यवसायिक कौशल, उत्साह और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

20. 1514715—हवलदार काशी राम कालम्बे-इंजीनियर

दक्षिणेश्वर में स्थित इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट आपरटिंग कम्पनी आफ इंजीनियर्स, चारों ओर से उद्योगों से घिरा हुआ है। 15 फरवरी, 1977 को दिन के एक बजे विभको मैच फैक्टरी, जो फैक्टरी यूनिट लाइन के बिल्कुल निकट है, के ऊपर काले धुएं का एक बादल दिखाई दिया। यूनिट कमांडर ने तत्काल आदेश दिया कि आग लगने की चेतावनी दी जाए और आग की लपटों में फंसे फैक्टरी को सभी सम्भव सहायता प्रदान की जाए।

घटना स्थल पर आग बुझाने के यंत्रों सहित पहुंचने वाली पहली पचास व्यक्तियों की यूनिट में हवलदार काशीराम कालम्बे भी थे। उन्होंने देखा कि एक जलते हुए शैड में अनेक काम गार घिर गए हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर कामगारों को बचाने के लिए हवलदार कालम्बे जलते हुए शेड में पहुंचे। शेड के भीतर भी आग की लपटें उठ रही थीं और अन्दर रखी हुई मशीनें, फर्नीचर, माचिसें-सभी लपटों में जल रहे थे। इस पर भी अन्दर फंसे हुए बेहोश कामगारों को निकालकर बाहर लाते रहे। उनको देखकर उस यूनिट के दूसरे लोग उनकी सहायता करने लगे और इस प्रकार सभी कामगारों की जीवन रक्षा हो गई।

इस कार्रवाई में हवलदार काशी राम कालम्बे ने असाधारण साहस, उत्साह और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

21. 1516199—लांस हवलदार अब्दुल सलम-इंजीनियर

लांस हवलदार अब्दुल सलम को दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान 9 से 17 अगस्त, 1977 तक खयाला कस्बे के बाढ़ में फंसे लोग को निकालने के लिए तैनात किया गया था। इस कस्बे में 6 से 8 फुट तक पानी खड़ा था और पानी म सांप तैर रहे थे। लांस हवलदार अब्दुल सलम ने अपने अधीनस्थ एक चारों ओर मार करने वाली नौका ली। इस नौका में एक मोटर लगी हुई थी। इससे उन्होंने लगभग 500 व्यक्तियों को उनके निजी सामान के साथ बाढ़ के पानी से बाहर निकाला उनके कर्मीदल ने लोगों को बाढ़ में फंसे घरों से बाहर निकालने में सहायता दी। जहां उन्हें सीने तक गहरे पानी को पार करना पड़ा। 13 अगस्त, 1977 को, जब वे नाव में महिलाओं और बच्चों समेत 14 नागरिकों को लेकर नाव वापस ला रहे थे तो नाव अकस्मात जलमग्न हुए सीमजा के खम्बे से जा टकराई। नाव के तीन कीलक (रिवेट) टूट गए और नाव में पानी भरने लगा। कुछ समय के लिए नागरिकों में आतंक छा गया। किन्तु लांस हवलदार अब्दुल सलम ने तत्काल उन्हें नियंत्रित कर लिया और अपने साथियों से उन तीनों छेदों में रूमाल ठुंसवा कर उन्हें बन्द कर दिया। जो पानी अन्दर नाव में आ गया था उसे बाहर उलीचा गया और नाव में सवार सभी व्यक्तियों सहित नाव को सुरक्षित वापस लाया गया। स्थिति को कुशलता से सम्भालने पर उन्होंने एक सम्भावित दुर्घटना घटित नहीं होने दी।

इस प्रकार लांस हवलदार अब्दुल सलम ने असाधारण सूझबूझ, नेतृत्व और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

22. 1319116—नायक अन्ना कुलम मोहनराज—इंजीनियर।

नायक अन्नाकुलम मोहनराज एक सहायता दल के कमांडर थे जो इलाहाबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर मोटर युक्त प्रहारनाव से सहायता कार्य कर रहे थे। कोई दुर्घटना न होने पाए इसके लिए यह दल अपने निश्चित इलाके पर गश्त लगा रहा था। किसी नाव के उलटने या यात्रियों के नावों से नदी में गिरने पर इस मोटर-युक्त नाव (ओ० बी० एम०) का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय मोटर को तुरन्त चालू कर और बचाव नाव तेज गति से जाती हुई सावधानी पूर्वक ठीक नदी में उस स्थान पर पहुंच जाती जहां यात्री डूबा हो और सहायता दल के सदस्य डूबते हुए यात्रियों को बचा लेते।

नायक मोहनराज अपने जीवन तथा सुख-सुविधाओं को तिलांजलि देकर हर समय ड्यूटी पर तत्परता से डटे रहते। वे अपनी ड्यूटी पर तब तक मस्तैदी से डटे रहते जब तक पर्व के दिनों में अधिक भीड़ होने से प्राय: यह भय बना रहता था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। दो अवसरों पर जब लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो वे अपनी ड्यूटी पर डटे रहे और अपनी नाव का सावधानी पूर्वक संचालन करते रहे। इससे उनके सहकर्मियों को भी प्रोत्साहन मिला और वे बिना भोजन और आराम के अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। दो अन्य अवसरों पर इन्होंने स्वयं 27 डूबते हुए यात्रियों को बचाया जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे।

इस प्रकार नायक अन्नाकुलम मोहनराज ने असाधारण नेतृत्व साहस, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

23. 1341495—नायक रमन कान्नन—इंजीनियर

नायक रमन कान्नन एक हमला करने वाली नाव पर सहायता करने वाले दल के कमान्डर थे। पानी का बहाव तेज होने और देसी नावों पर मोटर (ओ० बी० एम०) लगने से कुछ ऐसे खतरे हो गए थे जिनको देखते हुए इस दल को अपनी गश्त वाले रास्ते पर लगातार गश्त लगानी होती थी।

जब कभी कोई नाव उलट जाती थी तो तीर्थ यात्री नाव से दूर गिर कर बहने लगते थे तब मोटर वाली नाव को तेजी से चलाकर नदी के बीच में यातायात को काटते हुए नदी में घटना स्थल पर पहुंच जाते थे और इस दल के कर्मचारी डूबते हुए तीर्थ यात्रियों को बचा देते थे। नायक रमन कान्नन ने पर्व के भीड़-भाड़ वाले दिनों में अपने जीवन की परवाह न कर कठिन हालात में अपने काम पर लगे रहे। मूसलाधार वर्षा के दो अवसरों पर नायक कान्नन अपनी नाव को अपने काबू में रखे रहे और बिना भोजन तथा आराम के काम करते रहने के लिए दल के दूसरे सदस्यों को प्रेरित किया। इसी प्रकार के ऐसे ही दो दूसरे मौकों पर इन्होंने स्वयं 13 व्यक्तियों को बचाया जिनमें से अधिकतर औरतें और बच्चे थे।

इस कार्रवाई में नायक रमन कान्नन ने असाधारण नेतृत्व, साहस, व्यावसायिक कुशलता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

24. 1525887—नायक रेशम सिंह—इंजीनियर

जुलाई/अगस्त, 1977 दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान नायक रेशम सिंह नजफगढ़ के नजदीक भटीकरा बेस थे एक मोटर से चलने वाली नाव पर काम कर रहे थ। 20 अगस्त, 1977 को लगभग 14.20 बजे इन्हें कुछ गांवों वालों को दौलतपुर गांव में समीप ऊंचे स्थान पर नाव से ले जाने के लिए कहा गया। इनकी नाव निश्चित स्थान पर पहुंचने वाली थी कि इन्होंने देखा कि पिडवाला कलां की ओर जाने वाली दूसरी नाव उलट गई है। उन्होंने जल्दी से यात्रियों को नाव से उतारा और पूरी रफ्तार से अपनी नाव दुर्घटना वाले मार्ग पर ले चले। लगभग 25 मिनट के अन्दर वे दुर्घटना वाले स्थान पर पहुंच गए और उल्टी हुई नाव के बचाए गए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले गए।

इस कार्य में नायक रेशम सिंह ने असाधारण साहस, पहल और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

25. 2446571—नायक संत राम—पंजाब रेजीमेंट

चम्बा जिले (हिमाचल प्रदेश) के बनी खेत नामक स्थान पर स्थित सिविल सप्लाई के गोदाम की बिल्डिंग में 19 मार्च, 1977 को 19.00 बजे भयंकर आग लग गई। लकड़ी की बनी पूरी बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रहीं थीं। नायक संत राम को जलते हुए गोदाम से गेंहूं के बोरे निकालने का काम दिया गया। दरवाजों में से गेहूं के बोर निकालना सम्भव नहीं था। अत: गोदाम की एक तरफ की दीवार में विस्फोटक से दरार बनाई गई। नायक संतराम उस दरार में घुस गये और गेंहूं के बोरे बाहर लाने लगे। तब तक गेहूं के बोरों के ऊपर से जलते हुए शहतीर गिरने से ऊपर के बोरों पर भी आग लग गई थी। नायक संत राम ने आग बुझाने वाले व्यक्तियों से अनुरोध किया कि उस दरार में से अपने पाइप से पानी फेंक कर आग बुझाएं। पानी के जोर से दीवार टूट गई और इस नान-कमीशन अधिकारी और उसके साथियों को काफी चोटें आईं। नायक संत राम के सिर पर चोट लगी और उसमें से तेजी से खून बहने लगा। अपनी चोट की चिंता किये बिना उन्होंने पहले अपने साथियों को दरार में से बाहर निकालने में सहायता की। इस दौरान सिर से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वह बुरी तरह थक गए तथा उन्हें मूर्छित अवस्था में दरार से बाहर निकाला गया और डलहौजी स्थित मिलिट्री अस्पताल में गम्भीर हालत में दाखिल कराया गया।

इस कार्रवाई में नायक संत राम ने असाधारण साहस, दृढ़ निश्चय और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

26. 73111128—नायक चोटसली अहोवी—सीमा सुरक्षा दल।

नागालैण्ड में गठित सीमा सुरक्षा दल की एक कम्पनी के नायक चोटसली अहोवी को निर्धारित काम को पूरा करने के लिए कुछ गिने चुने आदमी दिए गए थे। नायक अहोवी ने अपना कार्य बहुत ही सावधानी, और व्यावहारिक ढंग से शुरू किया। इन्होंने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और छोटे-

छोटे ग्रुपों में काम शुरू किया । कई बार तो बिना किसी प्रकार के औजारों के काम करने लग । अपने अथक और सतत प्रयत्न से इन्होंने कार्य को नई दिशा दी । उनके और उनके कर्त्तव्य परायण दल ने एक वर्ष के दौरान बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त की । और उसके परिणामस्वरूप बहुत हथियार, गोलाबारूद तथा कागजात प्राप्त हुए ।

बाद में नायक अहोवी और इनके साथियों ने पूरे नागालैण्ड को ही अपना कार्य क्षेत्र बना दिया । इन लोगों ने विपरीत जलवायु और दुर्गम क्षेत्रों में दिन रात काम किया । इस नए कार्य में भी दिसम्बर, 1974 में नायक चोटसली अहोवी ने सुरक्षा दल की आगे की योजना के लिए ठोस आधार बना दिया । वे दो दिन, दो रात लगातार चलते रहे और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ।

इस प्रकार नायक चोटसली अहोवी ने असीम साहस, नेतृत्व, संगठन क्षमता और असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

27. 1521936—लांस नायक हरनेक सिंह—इंजीनियर ।

15 फरवरी, 1977 को दक्षिनेश्वर, कलकत्ता स्थित बिमको मच फैक्टरी में आग लग गई । नजदीक की एक इंजीनियर कम्पनी के 50 व्यक्तियों की एक टीम नायब सूबेदार चमन सिंह के नेतृत्व में घटना स्थल को भेजी गई । लांस नायक हरनेक सिंह उस आग बुझाने वाली टीम में से एक थे ।

अभी आग बुझाने की कोशिश ही की जा रही थी कि लांस नायक हरनेक सिंह ने अपना पाइप उठाकर थोड़ी सी ही दूरी पर एक धुएं से भरे हुए शेड की ओर कर दिया । धुआं खत्म होने पर इन्होंने देखा कि लाल तपते स्टील के शेड के विध्वस भाग के पीछे कुछ कार्मिक फंसे हुए हैं । बढ़ते हुए ताप मान तथा बढ़ती हुई आग की लपटों के कारण शेड के गिरने के भय से अपने जीवन की कोई परवाह न की और अपने पाइप की उन्हों फंसे हुए व्यक्तियों की तरफ किए रखा जिससे कि आग की लपटें उन व्यक्तियों तक न पहुंच पाये । कार्मिको को गिरते हुए देखकर इन्होंने पाइप को उन व्यक्तियों की ओर करके छोड़ दिया और दस गज की दूरी तक जलते हुए मलबे में दो बार उन व्यक्तियों की ओर दौड़े और गिरे हुए व्यक्तियों में से दो को बाहर निकाला । तीसरी बार में ये खुद भी कुछ क्षणों के लिए वहीं फंस गये । होश आने पर भी ये उन दो व्यक्तियों के बारे में सोच रहे थे जिनकी इन्होंने सहायता की थी ।

इस कार्रवाई में लांस नायक हरनेक सिंह ने असाधारण कोटि साहस, पहल और कर्तव्य निष्ठता का परिचय दिया ।

28. 1452015-सैपर राम दिया—इंजीनियर ।

सितम्बर, 1976 में भारी वर्षा के कारण बिहार की अधिकांश नदियों में बाढ़ आ गई थी । 18 सितम्बर, 1976 की गंगा और बूढ़ी गण्डक नदियों के सुरक्षा तट बंधों में दरारें पड़ गई जिससे बिहार के बेगूसराय जिले का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया । बिहार सरकार ने बाढ़ बचाव कार्यों के लिए सेना की सहायता मांगी और 23 सितम्बर, 1976 को एक इंजीनियर रेजिमेंट को बेगूसराय में बाढ़ से बचाव करने का काम करने को कहा गया ।

सैपर राम दिया उस जिले के एक खण्ड में कार्य कर रहे कार्मिक दल में थे । ज्वर और जुखाम से पीड़ित होने के कारण उन्हें रेलवे स्टेशन के पास एक कैम्प में छोड़ दिया गया था । 23 सितम्बर, 1976 को लगभग नौ बजे सुबह दो लड़के जब सेना की टुकड़ी के पास वाले रेलवे तटबंध के साथ साथ चल रहे थे, वे फिसल कर बाढ़ के पानी में गिर गए । पास खड़े नागरिकों ने सहायता की पुकार की—सैपर राम दिया अपनी अस्वस्थता की तनिक भी चिन्ता किए बिना तेजी से तम्बू से बाहर आए और उफनते हुए पानी में कूद पड़े । ये तैरते हुए डूबते हुए लड़कों की ओर बढ़े और उनमें से एक लड़के को जो अधिक निकट था पकड़ लिया । उन्होंने उस लड़के को अपने कंधों पर बिठा लिया और तैरते हुए दूसरे की ओर बढ़े, दूसरे को भी पकड़ने में सफल रहे और इस प्रकार दोनों की रक्षा की । आवश्यक प्रथमोपचार के बाद दोनों लड़कों की जान बच गई ।

इस कार्रवाई में सैपर राम दिया ने अनुकरणीय साहस, मुस्तैदी और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

29. 1402421—सैपर यशबीर सिंह—इंजीनियर ।

सितम्बर, 1976 में भारी वर्षा के कारण बिहार की अधिकांश नदियों में बाढ़ आ गई थी । 18 सितम्बर, 1976 की गंगा और बूढ़ी गण्डक नदियों के सुरक्षा तटबंधों में दरारें पड़ गई जिससे बेगूसराय जिले का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया । राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाव करने के कार्यों के लिए सेना की सहायता मांगी और 20 सितम्बर, 1976 को एक इंजीनियर रेजिमेन्ट को बेगूसराय जाकर बाढ़ से बचाव करने का काम करने को कहा गया ।

सैपर यशवीर सिंह उस नौका कर्मीदल में थे जिसे बलिया गांव के बीच खाने का सामान ले जाने पर लगाया गया था । 24 सितम्बर, 1976 को जब नौका को लखमेनियां में लादा जा रहा था तो सहायता के लिए चीख-पुकार सुनाई दी । सैपर यशबीर सिंह तुरंत मौके पर गए और उन्होंने दो लड़कियों को बाढ़ के पानी की तेज धारा में बहते हुए देखा । अपनी जान की बाजी लगा कर वह पानी म कूद गये । वे तैरते हुए एक लड़की की ओर बढ़े जो उस समय तक पानी में डूब गई थी । उन्होंने गोता लगाया और कुशल तैराक होने के कारण लड़की को बाहर लाने में सफल हुए । इसी बीच में उनके कार्य से प्रेरित हो कर उनके एक अन्य साथी ने भी पानी में छलांग लगा दी और दूसरी लड़की की जान बचाई ।

इस कारवाई में सैपर यशबीर सिंह ने महान साहस, पहल-शक्ति, कुशलता और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

30. 1520691—सैपर जिले सिंह—इंजीनियर ।

जुलाई, अगस्त, 1977 में दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान मोटर लगी हुई नौका के कर्मीदल में सैपर जिले सिंह भी थ । इस नाव में सैपर मोहम्मद अलाउद्दीन नजफगढ़ सब्टर के भटीकरा क्षेत्र में काम कर रहा था ।

20 अगस्त, 1977 को लगभग 14.00 बजे उस नौका को कुछ पका हुआ भोजन और गांव वालों को पिण्डवाला कलां ले जाने को कहा गया । जब नौका गांव के करीब 300 गज की दूरी पर थी, उसमें कुछ पा ी भर गया और यात्रियों ने पानी से बचकर नाव की दूसरी ओर जाना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने कर्मीदल के

अन्य कर्मचारियों के साथ यात्रियों को इधर-उधर आने जाने से रोका किन्तु वे इसमें असफल रहे और नाव उलट गई। अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने डूबते हुए लोगों को बचाना शुरु किया और अपने साथियों की मदद से वे पन्द्रह व्यक्तियों को बचाने में सफल हुए। इन व्यक्तियों को वे तब तक एक सुरक्षित स्थान पर रखे रहे जब तक उनके बचाने के लिए गांव से एक नाँव नहीं पहुंच गई।

इस कार्रवाई में सैपर जिले सिंह ने साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

31. 1537528—सैपर महमूद खान—इंजीनियर।

जुलाई/अगस्त, 1977 में दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान सैपर महमूद अलाउद्दीन जिस मीटर युक्त नाव को चला रहे थे उसमें सैपर महमूद खान भी थे। वह नौका उस समय नजफगढ़ सैक्टर के भटीकरा क्षेत्र में काम कर रही थी। 20 अगस्त, 1977 को लगभग 14.00 बजे उनकी नौका को कुछ पका हुआ भोजन और गांव वालों को पिण्डवाला कलां ले जाने को कहा गया। जब नौका गांव से 300 गज की दूरी पर थी, उसमें कुछ पानी भर गया और यात्रियों ने पानी से बचकर नौका के दूसरी ओर जाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने कर्मीदल के अन्य सदस्यों के साथ यात्रियों को इधर-उधर जाने से रोका किन्तु वे असफल रहे और नाव उलट गई। अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने डूबते हुए लोगों को बचाना शुरु किया और साथियों की मदद से पन्द्रह व्यक्तियों को बचाने में सफल रहे। इन व्यक्तियों को वे तब तक एक सुरक्षित जगह पर रखे रहे जब तक कि दूसरी नाव उनको बचाने के लिए गांव से बाहर नहीं ले गई।

इस कार्रवाई में सैपर महमूद खान ने साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

32. 13917986—सिपाही लाल सिंह पशु—सैना चिकित्सा कोर।

11 नवम्बर, 1976 को जब सिपाही लाल सिंह पशु उत्तरी क्षेत्र में एक जनरल अस्पताल के एक्यूट मेडिकल वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे तो अस्पताल में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग एक्यूट मेडिकल वार्ड तक पहुंच गई। सिपाही एस० सी० आर० पिल्ला जिसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं और गम्भीर रोगी सूची में था और उसे "इन्टरवीनस इनफ्युजन" दिया जा रहा था। सिपाही पशु ने इनफ्युजन को बन्द कर दिया और उस रोगी की जान बचाने के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। जब वह उस रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे उनका दम घुटने लगा और मूर्छित हो गए। उस स्थान के पास अन्य उपस्थित लोगों ने उन दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

होश में आने पर सिपाही पशु तत्काल मेडिकल बटालियन की उस बैरक में गए जहां पर आग के कारण अस्पताल से लाए गए रोगियों को रखा गया था। उन्होंने रोगी की जान बचाने के लिए गम्भीर रूप से बीमार रोगी को "इन्टरवीनस इनफ्युजन" देना प्रारम्भ कर दिया।

इस कार्रवाई में सिपाही लाल सिंह पशु ने उच्च कोटि का साहस, सूझ-बूझ, व्यवसायिक कौशल और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1979

सं० यू० 1/151.3/31/78—जबकि भारत सरकार के निमंत्रण पर और संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का तृतीय महा सम्मेलन 21 जनवरी, 1980 से 8 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में होगा :

और जबकि, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तृतीय महा सम्मेलन की व्यवस्था के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच नवम्बर, 1979 के 12वें दिन वियना में एक करार सम्पन्न हुआ था;

इसलिए, अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रावधान, संलग्न करार को प्रभावकारी बनाने के लिए, जहां तक आवश्यक हो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तृतीय महा सम्मेलन तथा इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों पर, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

करार

भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तृतीय महा सम्मेलन के प्रबंध के विषय में।

प्रस्तावना

21 जनवरी से 8 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का तृतीय महा सम्मेलन आयोजित करने (जिसे इसके बाद 'सम्मेलन' कहा गया है) के भारत सरकार के निमंत्रण को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प क/32/164 द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद और 17 दिसम्बर 1976 के महासभा संकल्प 31/140 की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र निकाय अपने स्थापित मुख्यालयों से बाहर अधिवेशन आयोजित कर सकते है। जब सरकार अपने क्षेत्र के अन्दर किसी अधिवेशन के आयोजन के लिए निमंत्रण जारी करते हुए, जहां तक संभव हो, महासचिव के साथ परामर्श के बाद, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल वास्तविक अतिरिक्त मूल्य चुकाने के लिए राजी हो गयी हो, भारत सरकार (जिसे इसके बाद 'सरकार' कहा गया है) तथा संयुक्त राष्ट्र, इसके द्वारा नीचे लिखे अनुसार सहमत होते हैं।

सम्मेलन में भाग लेना

सम्मेलन में निम्नलिखित भाग ले सकते हैं :—

(क) सम्मेलन में आमंत्रित राज्यों के प्रतिनिधि;

(ख) नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रतिनिधि;

(ग) विशिष्ट अभिकरणों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण के प्रतिनिधि;

(घ) राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों अथवा संगठनों के पर्यवेक्षक जो सम्मेलन में भाग लेने के अधिकारी हैं;

(ङ) संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से बाहर के अन्य अन्तर-सरकारी संगठनों के पर्यवेक्षक जिन्हें इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है; और

(च) सम्मेलन में आमंत्रित गैर-सरकारी संगठनों के पर्यवेक्षक।

II. परिसर, उपस्कर, उपयोगी वस्तुओं और लेखन सामग्री की सप्लाई

1. सरकार इस सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में अपने खर्च पर ऐसा स्थान तथा वे सुविधायें उपलब्ध करायेगी जो सम्मेलन आयोजित करने के लिए आवश्यक होगी। सम्मेलन के परिसर तथा उनकी सुविधाओं की सूची इस करार के अनुबन्ध II में दी गयी है। उपयुक्त कार्य-क्षेत्र तथा प्रैस के लिए आवश्यक सभी सामान तथा अन्य सूचना साधन की भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जायगी।

2. ये परिसर सम्मेलन के दौरान तथा इसके आरंभ होने से पहले एवं समाप्त होने के बाद उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के अधिकार में रहेंगे जितनी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सचिवालय सरकार के परामर्श से तैयारी तथा सम्मेलन से संबद्ध सभी मामलों के लिए आवश्यक समझे ।

3. सरकार अपने खर्च पर उल्लिखित उन सभी कमरों तथा कार्यालयों को जिनकी सूची अनुबन्ध II में दी गई है इस ढंग से सुसज्जित करेगी तथा उनकी अच्छी तरह मरम्मत करके सुरक्षित रखेगी जिससे कि सम्मेलन कारगर तरीके से आयोजित किया जा सके ।

4. सरकार अपने खर्च पर सामान प्रदान करेगी तथा सुरक्षित रखेगी जैसे मिमियोग्राफ अन्य अनुलिपिक एवं फोटो अनुलिपिकरण मशीन, अपेक्षित भाषाओं कुंजी के पटलों-सहित टाइपराइटर, टेप-रिकार्डर तथा अन्य ऐसी सामग्री जो सम्मेलन के कारगर आयोजन के लिए आवश्यक हो जिसकी सूची अनुबन्ध II में दी गई है ।

5. सरकार सम्मेलन के प्रयोजनार्थ कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री की स्थायी वस्तुओं की भी अपने खर्च पर व्यवस्था करेगी जैसे स्टेपलर, एशट्रे, कैंची, कूड़ादान, लटर ओपनर डैस्क कैलेंडर, ब्लाटिंग पैड आदि ।

6 सरकार इस सम्मेलन क्षेत्र में एक बैंक, एक डाकघर और टेलीफोन, टेलीग्राफ और यात्रा सुविधाएं, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, एक कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट तथा इसके साथ ही साथ बहुभाषीय सूचना सेवाओं की व्यवस्था करेगी । इस सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया हो अथवा आने की अनुमति दी गई हो, के लिए स्थान की व्यवस्था भी करेगी ।

7. सरकार सभी आवश्यक उपयोगिता सेवाओं का खर्च वहन करेगी जिसमें नई दिल्ली स्थित सम्मेलन सचिवालय के दुरभाष, सम्प्रेषण तथा वियना में सम्मेलन सचिवालय और यूनिडो मुख्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क स्थित मुख्यालय के बीच टेलेक्स और टेलीफोन के माध्यम से यथोचित रूप से प्राधिकृत सरकारी सम्प्रेषण शामिल है ।

8 यूनिडो अपने खर्च पर इस सम्मेलन के काम के लिए सभी आवश्यक लेखनसामग्री तथा साथ ही दस्तावेजों को छापने के लिए अपेक्षित स्टेंसिल और कागज की व्यवस्था करेगी । सरकार वियना अथवा न्यूयार्क से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वियना अथवा न्यूयार्क तक अपने सौपरिवहन के लिए परिवहन और बीमा प्रभार का वहन करेगी और उनका भुगतान करेगी ।

9. सम्मेलन क्षेत्र मे चिकित्सा-सुविधायें भी होंगी जो आकस्मिक संकट में प्राथमिक-उपचार के लिए पर्याप्त हों । सरकार इस बात का पक्का प्रबंध करेगी कि जब कभी आवश्यकता होगी अस्पताल पहुंचाया जायगा और दाखिला मिलेगा और मांगे जाने पर आवश्यक परिवहन भी निरन्तर उपलब्ध रहेगा ।

III. अमला

1. संयुक्त राष्ट्र को नई दिल्ली में संलग्नक-1 मे बताये गये अन्तर्राष्ट्रीय अमले की आवश्यकता होगी और स्टाफ संबंधी जैसी भी आवश्यकता होगी उसका प्रबंध सरकार संयुक्त राष्ट्र के लिए करेगी ।

2. सरकार एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो यूनिडो के परामर्श से इस करार की शर्तों के अनुसार सम्मेलन के लिए प्रशासनिक और कार्मिक व्यवस्थायें करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. सरकार, यूनिडो के परामर्श से अपने खर्च पर और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, संलग्नक-1 में बताये गये स्थानीय कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो नीचे लिखे अनुसार कार्य करेंगे :

(क) सम्मेलन द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को छापना और उनका वितरण करना ;

(ख) वियना में उपलब्ध यूनिडो के कर्मचारियों के स्थान पर टंकक, लिपिक, संदेश वाहक, सुरक्षा गार्ड, भण्डार-रक्षक और सम्मेलन कक्ष कर्मचारियों के कार्य करना;

(ग) अनुच्छेद II के पैरा 6 में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करना और सम्मेलन के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये उपस्कर और परिसर के लिए अग्निरक्षा और रख-रखाव सेवाओं के लिए जो कर्मचारी आवश्यक होंगे उनकी व्यवस्था करना ।

4 ऊपर उल्लिखित स्थानीय कर्मचारी यूनिडो के कार्यकारी निदेशक के सामान्य निरीक्षण के अधीन रखे जाएंगे और सम्मेलन के आयोजन के लिए इससे पूर्व और बाद में जिस सीमा तक अपेक्षित होगा, कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे ।

IV. परिवहन और निर्वाह-भत्ता

1. सम्मेलन के स्थान तक भत्ता, जहां तक संभव हो, उनके अपने-अपने ड्यूटी के स्थानों से नई दिल्ली तक और वापसी के लिए एयरलाइन्स भ्रमण किराये पर आधारित होगी । अन्तर्राष्ट्रीय अमले का कोई भी सदस्य जो अपने ड्यूटी स्टेशन पर चक्करदार मार्ग से वापिस जाना चाहता है, जा सकता है बशर्ते कि वह इस प्रकार के भ्रमण किराये/सीधे वाणिज्यिक उड़ान के किराये से अधिक का भुगतान स्वयं करता है । नई दिल्ली आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जायेगा और संयुक्त राष्ट्र के नियमों और प्रथा के अनुरूप भत्ते आदि दिये जायेंगे । नई दिल्ली में निर्वाह भत्ते की दर सम्मेलन के समय निर्वाह-व्यय को ध्यान में रख कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की जाएगी ।

2 सरकार अपने खर्च पर यूनिडो के कार्यकारी निदेशक और सम्मेलन के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए ड्राइवर सहित सात कारें, एक स्टेशन वैगन और दो छोटी बसों की व्यवस्था करेगी । सरकार इस प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं भी देगी जिनकी आवश्यकता यूनिडो के कर्मचारियों के आगमन पर दिल्ली हवाई अड्डे से दिल्ली में उनके होटलों तक पहुंचाने और प्रस्थान पर उनके होटलों से हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए होगी जिनका खर्च यूनिडो को वहन नहीं करना पड़ेगा । सरकार हवाई अड्डे (अथवा बन्दरगाह) से सम्मेलन परिसर और सम्मेलन परिसर से हवाई अड्डे (अथवा बन्दरगाह) तक सम्मेलन उपस्करों और सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी करेगी

3. सरकार प्रतिनिधि मण्डलों, सचिवालयों, प्रस और सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों को सम्मेलन के दौरान होटलों में आरक्षण करवाने में सहायता देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायेगी । इस प्रकार की सभी सुविधाएं भाग लेने वालों के खर्च पर ही दी जायेगी और लेखों का समायोजन सीधे भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा होटल प्राधिकारियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किया जायेगा । सरकार का इस संबंध में न कोई उत्तरदायित्व होगा और न वह इसे स्वीकार करेगी ।

V. अतिरिक्त खर्च

1. महासभा के संकल्प 31/140 के अनुसार, यूनिडो के स्थापित मुख्यालय, वियना से कहीं अन्यत्र सम्मेलन का आयोजन करने पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो वास्तविक अतिरिक्त खर्च होगा उसे सरकार वहन करेगी ।

ऐसे अतिरिक्त खर्च की मात्रा का निर्धारण अनुबंध III के अनुसार निम्नलिखित के लिए अमरीकी डालरों में लेखों के दोहरे सैट कायम रखकर किया जाएगा :—

(i) नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन करने पर संयुक्त राष्ट्र का खर्च;

(ii) तुलना में यदि यह सम्मेलन वियना में आयोजित किया जाता तो संयुक्त राष्ट्र को क्या खर्च करना पड़ता ।

(i) और (ii) में जो फर्क होगा वही भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को देय अतिरिक्त राशि होगी ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय अमले के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में एक अलग लेखा रखा जाएगा ताकि यह राशि वियना बैठक में संयुक्त राष्ट्र के खर्च के बराबर अनुबंध III के पैरा-1 में दी गई राशि के बराबर तय की जा सके ।

3. यदि बजट में दी गई अवधि और सम्मेलन की अवधि में फर्क हो तो अनुबंध IV में बताए गए अमले के मामले में यथानुपात समायोजन किया जाएगा ।

VI. वित्तीय व्यवस्थाएं

1. सरकार दिसम्बर 1, 1979 को 545,701 लाख रुपए की राशि अग्रिम के रूप में देगी और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अमले के लिए विमान भाड़े के खर्च का भुगतान सीधे ही एयर इंडिया को करेगी जैसी कि अनुबंध I में व्यवस्था है और इस प्रकार वह अनुच्छेद V में परिभाषित इस सम्मेलन की अनुमानित अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगी । यह अग्रिम संयुक्त राष्ट्र के नई दिल्ली स्थित सम्मेलन रुपया बैंक लेखे में जमा किया जाएगा और इस सम्मेलन के मामले में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संवितरित कर दिया जाएगा ।

2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सरकार के नाम अमरीकी डालर में एक सामान्य लेखा रखा जाएगा जो इस प्रकार होगा :

(क) उपर्युक्त पैरा-1 के अनुसार जमा किए गए सभी अग्रिमों को इस तारीख को जिसमें वे जमा किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू विनिमय दर के हिसाब से अमरीकी डालर में बदल कर जमा खाते में डाला जाएगा ।

(ख) अनुच्छेद-V और अनुबंध III के अन्तर्गत अमरीकी डालरों में यथा निर्धारित सम्मेलन के अतिरिक्त खर्च के नाम डाला जाएगा ।

(ग) लेखा बंद होने के समय उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित जमा-राशि में से रुपयों के रूप में डाले डाली गई अव्ययित शेष राशि को उस तारीख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू विनिमय दर के हिसाब से अमरीकी डालरों में बदला जाएगा। शेष राशि सरकार को लौटा दी जाएगी ।

इस प्रकार डालरों में सामान्य लेखे का शेष सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच तय की जाने वाली राशि का द्योतक होगा । सरकार के नाम कोई भी शेष राशि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रुपयों में तय की जाएगी और संयुक्त राष्ट्र के हक में जो रकम निकलती होगी उसका भुगतान सरकार द्वारा अमरीकी डालर में किया जाएगा ।

3. संयुक्त राष्ट्र नई दिल्ली स्थित अपने अन्तर्राष्ट्रीय अमले को निर्वाह और आवधिक भत्ते का 80 प्रतिशत रुपयों में अदा करेगा और शेष 20 प्रतिशत राशि अमले के प्रत्येक सदस्य की इच्छा के अनुसार या तो उन्हें अमरीकी डालरों में अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू विनिमय दर के हिसाब से अदा की जाएगी ।

VII. विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

1. संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधित अभिसमय इस सम्मेलन के विषय में भी लागू होगा । तदनुसार इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधि तथा नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रतिनिधि, इस सम्मेलन के संबंध में कार्य करने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी तथा इस सम्मेलन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्यरत मिशनों के विशेषज्ञों को वे ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो कि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद IV, खंड 15 में दिए गए अपवादों को छोड़कर उक्त सम्मेलन के लिए सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों तथा संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र के लिए मिशनों के विशेषज्ञों को उक्त अभिसमय के संबंध में प्राप्त है ।

2. इस सम्मेलन में विशिष्ट अभिकरणों से सम्बद्ध प्रेक्षकों को विशिष्ट अभिकरणों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अभिसमय के अनुच्छेद VI और VIII के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रेक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों संबंधी करार के अनुच्छेद VI और IX के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी । इस सम्मेलन में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित अन्तःसरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रेक्षकों को संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद V के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी।

3. संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधी अभिसमय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस सम्मेलन के संबंध में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सम्मेलन के अन्तर्राष्ट्रीय अन्तः सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विदेशी सूचना माध्यम के प्रतिनिधि और ऐसे आमंत्रित अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें इस प्रकार विधिवत रूप से प्रत्यायित किया गया है, को इस सम्मेलन के संबंध में अपनी सरकारी हैसियत से उनके द्वारा बोले अथवा लिखे गए और किये गये कार्यों के मामले में कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति प्राप्त होगी ।

4. सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों के आने-जाने पर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। सरकारों के प्रतिनिधि और नामीबिया विषयक संयुक्त राष्ट्र परिषद् के प्रतिनिधि तथा उनके परिवार के सदस्य; विशेषज्ञ एजेंसियों के प्रतिनिधि, अन्तःसरकारी संगठनों तथा उनके परिवार के सदस्य; संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और विशेषज्ञ तथा उनके परिवार के सदस्य; अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रेक्षक, जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के परामर्शक के स्तर के हों; समाचार-पत्रों अथवा रेडियो, टेलीविजन, फिल्म अथवा अन्य सूचना एजेंसियों के प्रतिनिधि, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सरकार के परामर्श से प्रत्यायित किया हो और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन के लिए अधिकृत रूप से आमंत्रित अन्य व्यक्ति ।

5. सरकार द्वारा स्थानीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों को छोड़कर, इस खंड में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को भारत आने और भारत से बाहर जाने का अधिकार होगा । उन्हें शीघ्र यात्रा के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । आवश्यकता होने पर यथा शीघ्र बिना किसी शुल्क के वीसा प्रदान किया जाएगा और जिन मामलों में वीसा के लिए आवेदन सम्मेलन शुरू होने के कम से कम ढाई सप्ताह पूर्व प्राप्त हो जाएगा, उन मामलों में सम्मेलन की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व वीसा प्रदान कर दिया जाएगा । यदि वीसा के लिए आवेदन सम्मेलन शुरू होने के कम से कम ढाई सप्ताह पूर्व नहीं प्रस्तुत किया जाये तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर वीसा प्रदान कर दिया जाएगा । निर्गम-पत्र, जहां आवश्यक होंगे, यथाशीघ्र निःशुल्क प्रदान कर दिए जाएंगे और किसी भी हालत में सम्मेलन समाप्त होने के तीन दिन पहले अवश्य दे दिये जाएंगे ।

6. इसके अतिरिक्त, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले तथा सम्मेलन के कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं तथा शिष्टाचार की व्यवस्था की जाएगी जो सम्मेलन के दौरान उनके स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आवश्यक हो ।

7. सम्मेलन के दौरान, सम्मेलन के प्रारम्भिक तथा सम्मेलन के समापन के अन्तिम चरण में, अनुच्छेद II में उल्लिखित भवन तथा क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र का परिसर समझा जाएगा और उसमें प्रवेश संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के प्राधिकार तथा नियंत्रण में होगा ।

8. सरकार सम्मेलन के लिए आवश्यक सभी उपकरणों तथा सामान के आयात की अनुमति देगी, जिनमें सम्मेलन के लिए अधिकारिक रूप से आवश्यक तथा मनोरंजन अनुसूची में शामिल सामान भी होगा, और उन पर देय आयात-शुल्क तथा अन्य प्रकार के शुल्कों तथा करों से छूट दी जाएगी । इसके लिए आवश्यक आयात तथा निर्यात परमिट बिना किसी विलम्ब के संयुक्त राष्ट्र को जारी किये जायेंगे ।

viii पुलिस संरक्षण

सम्मेलन के शांतिपूर्ण तथा सुव्यवस्थित संचालन के लिए सरकार अपने खर्च पर आवश्यक पुलिस संरक्षण की व्यवस्था करेगी । यद्यपि यह पुलिस सेवा सरकार द्वारा नियुक्त मध्यम/वरिष्ठ रैंकों के किसी अधिकारी के सीधे निरीक्षण तथा नियंत्रण में होगी, लेकिन यह अधिकारी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के किसी उत्तरदायी अधिकारी से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखेगा जिससे सुरक्षा तथा शान्ति सुनिश्चित हो सके ।

ix दायित्व

1. सरकार सीधे अथवा उपयुक्त बीमा व्यवस्था द्वारा संयुक्त राष्ट्र अथवा उसके कार्मिकों के प्रति निम्नलिखित बातों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी कार्रवाई, दावे अथवा अन्य मांगों के प्रति उत्तरदायी होगी :

(क) उपर्युक्त अनुच्छेद II तथा इस करार के परिशिष्ट II में उल्लिखित परिसर में जान-माल की हानि;

(ख) उपर्युक्त अनुच्छेद VI के पैरा 2 में उल्लिखित परिवहन सेवाओं का उपयोग करते समय होने वाली जान-माल की हानि;

(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद III के पैरा 2 और 3 तथा इस करार के परिशिष्ट IV में उल्लिखित सम्मेलन के लिए नियुक्त कार्मिक।

2. सरकार इस प्रकार की कार्रवाई, दावों अथवा अन्य मांगों के बारे में संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्मिकों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगी लेकिन उन मामलों में जहां सम्बन्धित पार्टियां इस बात पर सहमत हों कि ऐसी हानि संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों की घोर असावधानी अथवा जान-बूझकर उनके गलत आचरण के कारण हुई है, सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सिविल देयता की कार्रवाई की जाएगी ।

ऐसी कोई भी कार्रवाई, दावा अथवा अन्य मांग जिनका संबंध मजबूरी में की गई किसी कार्रवाई से हो, तो सरकार और संयुक्त राष्ट्र सभी प्रकार के दावे से छूट जाएंगे ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र ऐसी किसी कार्रवाई, दावों अथवा अन्य मांगों के परिणामस्वरूप किसी अनुवर्ती परीक्षा अथवा असम्बन्धित नुकसान के लिए देय नहीं होंगे ।

x विवादों का निपटान

1. संयुक्त राष्ट्र एवं सरकार के बीच इस प्रकार के सभी विवादों का निपटान अभिसमय की 30वीं धारा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां विषयक अभिसमय से सम्बद्ध हैं और जिसमें सैद्धान्तिक प्रश्न निहित हैं ।

2. पैरा 1 में उल्लिखित विवादों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सरकार के बीच इस करार के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग से संबंधित किसी प्रकार के विवाद को पक्षकारों के बीच बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा । यदि विवाद उत्पन्न होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर संतोषजनक समाधान नहीं हो जाए, तो सम्बद्ध पक्षकार विवाद को शीघ्र निपटान के लिए अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य प्रकार के समाधान के लिए सहमत हो सकते हैं ।

xi सामान्य प्रावधान

1. इस करार को, सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच लिखित करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।

2. यह करार पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू माना जाएगा तथा सम्मेलन की अवधि तक के लिए और सम्मेलन से संबंधित सभी मामलों के निपटान तक के लिए आवश्यक होने पर उसके बाद की अवधि तक भी लागू होगा ।

3. इसके साक्ष्यस्वरूप, वियना में, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने-अपने प्रतिनिधियों ने वर्ष एक हजार नौ सौ उन्नासी के नवम्बर मास के 12वें दिन हस्ताक्षर किए ।

भारत सरकार की ओर से
के० आर० पी० सिंह

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से
अब्दुल रहमान खान

श्रीवत्स पुरुषोत्तम
संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र)
विदेश मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1979

संकल्प

सं० वी०-27020/29/77-आयु० डेस्क-2—जबकि भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीबद्ध संस्था है, की एक साधारण बैठक उक्त संस्था के समापन पर अपनी इच्छा व्यक्त करने तथा मत देने के अभिप्राय से बुलाई गई, और

जबकि 1-4-78 को हुई उक्त परिषद् की बैठक में इस संस्था को उस तारीख से समाप्त करने का संकल्प किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी, 1979 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् समाप्त हो गई है ।

2 भारत सरकार भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के उत्तराधिकारी निकायों के रूप में नीचे लिखी चार केन्द्रीय परिषदों को आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के मूलभूत और व्यवहृत विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य का सूत्रपात करने, उसकी सहायता करने, उसका मार्गदर्शन करने तथा विकास और समन्वित करने के लिए गठित भी करती है :—

1. आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ।

2. यूनानी चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ।

3. होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ।

4. योग और प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ।

इन परिषदों को संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीबद्ध कर दिया गया है । उनका प्रशासन कार्य उनके अपने-अपने अधिशासी निकायों द्वारा किया जायेगा जिनमें संबंधित परिषदों के अपने-अपने संस्था ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपनियमों में निर्दिष्ट सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

विद्यमान भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् की परिसम्पत्ति और देयताएं, जिनमें वहां कार्य कर रहे कर्मचारिवृन्द भी शामिल हैं नई परिषदों में समुचित ढंग से नियत कर दिए जाएंगे । उक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि और शर्तों को, जिनमें उनके वर्तमान लाभ भी निहित हैं, जहां तक व्यावहारिक होगा, उन परिषदों द्वारा जिन्हें उनकी सेवाएं नियत की जाएंगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

स० कु० कर्थाक, उप सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि तथा सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1979

संकल्प

सं० 7-6/74-एफ० आर० वाई/एफ० आई० पी० सी०--राज्य वन विकास निगमों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति के पुनर्गठन के संबंध में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 7-6/74-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 29-8-78 के क्रम में भारत सरकार ने उक्त केन्द्रीय समन्वय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न अधिकारी को शामिल करने का निश्चय किया है ताकि समिति सुचारु एवं कारगर ढंग से कार्य कर सके। उनके नाम को उल्लिखित संकल्प के क्रम संख्या 1 के बाद शामिल किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है :--

1. वन महा निरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (कृषि तथा सहकारिता विभाग)	अध्यक्ष
2. अपर वन महानिरीक्षक, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग)	उपाध्यक्ष
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
4. संयुक्त सचिव (कृषि और ग्राम विकास), योजना आयोग नई दिल्ली।	सदस्य
5. उप वन महानिरीक्षक, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली।	सदस्य
6 निदेशक (वित्त) कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली।	सदस्य
7. कृषि पुनर्वित्त और विकास समिति, बम्बई।	सदस्य
8 प्रबन्ध निदेशक, कृषि वित्त निगम लि०, बम्बई।	सदस्य
9. उप सचिव (आदिवासी विकास), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
10. विशेषज्ञ (लाइफ साइंस), विज्ञान और प्रौद्योगिकी; नई दिल्ली।	सदस्य
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना, देहरादून।	सदस्य
12. कार्यक्रम अधिकारी, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य
13. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक वन उद्योग निगम लि०, बंगलौर।	सदस्य
14. सहायक वन महानिरीक्षक (एफ० आई०), कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य तथा कार्य आदेश नियमावली पूर्ववत् ही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० बी० श्रीवास्तव
वन महानिरीक्षक
तथा पदेन अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1979

संकल्प

सं० एफ० 3-42/79-एफ० 2--भारत सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में वन और राजस्व भूमि के अतिक्रमण के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :--

1. श्री एम० के० बालवी, अतिरिक्त वन महानिरीक्षक, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. श्री बी० के० शर्मा, संयुक्त सचिव, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
3. श्री आर० के० बध, संयुक्त सचिव, भूमि सुधार विभाग, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
4. श्री लालथनजामा, मुख्य वनपाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।	सदस्य
5. श्री एम० एस० सोलंकी, उप वन महा निरीक्षक, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य संयोजक
6. श्रीमती उमा पिल्लै, उप सचिव, (ए० एन० एल०) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
7. रेवेन्यू सचिव, अण्डमान और निकोबार प्रशासन।	सदस्य
8. उपायुक्त, जिला अण्डमान निकोबार प्रशासन।	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :--

1. वन एवं राजस्व भूमि के अतिक्रमण के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करना, अतिक्रमण की सीमा और उसके कारणों का पता लगाना।

2. अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में उपचारात्मक व विरोधी उपाय सुझाना।

3. वन एवं राजस्व भूमि से बेदखल होने वाले बेरोजगारों के लिए वैकल्पिक साधनों के बारे में सुझाव देना।

4. वन एवं राजस्व भूमि से बेदखल करने हेतु कारगर नियम बनाना और वहां से अतिक्रमण को समाप्त करना।

5. समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 3 माह में अर्थात् 29 फरवरी, 1980 तक देनी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति गृह मंत्रालय, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, अण्डमान और निकोबार प्रशासन, योजना आयोग, मुख्य वनपाल, अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० नायक, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 दिसम्बर 1979

संकल्प

सं० ई०-12016/1/73-हिन्दी-क—इस कार्यालय के तारीख 16 नवम्बर, 1978, 23 मई, 1979 तथा 6 अक्तूबर, 1979 के समसंख्यक संकल्प में नीचे लिखे संशोधन किए जा रहे हैं :

पैरा 1 "गठन" में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

47—डा० रघुनाथ सिंह, सदस्य
ग्राम अजगरा,
पोस्ट चोलापुर,
जिला वाराणसी

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एल० राजन, सचिव,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the January 1978

No. 75-Pres./79.—The President is pleased to approve the award of the "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Major PARAMJIT SINGH (IC 15804), Artillery.

Major Paramjit Singh has been serving as Flight Commander in an Air Operation Unit since March, 1976. On 12th April, 1977, he was detailed to evacuate two injured members of the Army Kanchenjunga Expedition team from an untried helipad located at a height of 16,500 feet. Due to rain and sleet and poor visibility, flying over the mountainous terrain was very hazardous. The two determined attempts made by Major Paramjit Singh on 12th April, 1977, were thwarted by bad weather. On the 13th April, 1977 despite bad weather, he executed a safe landing on the untried helipad and successfully evacuated two casualties who were in urgent need of medical attention.

In this action, Major Paramjit Singh displayed courage, professional skill and devotion to duty of an exceptional order.

2. Major MOHINDER SINGH KHAIRA (IC 18177), Engineers.

Major Mohinder Singh Khaira, Officer Commanding of an Electrical and Mechanical Company was detailed to provide lighting along the seven thousand feet long Dhansa bund by 3rd August, 1977, so that work on raising its height could be progressed during the night. He accomplished the task in time and thus made it possible for the task force to work round the clock and prevent further devastation by the flood waters in Delhi.

At 0550 hours on 5th August, 1977, Major Mohinder Singh Khaira came to know of a hundred feet wide breach in the Dhansa Bund. Realising the seriousness of the situation, he took a small force and accomplished the task of plugging the breach within a record time of two hours. The plugging of the breach not only saved the Dhansa Bund but also prevented heavy damage that the breach could have caused to life and property in Delhi.

Major Mohinder Singh Khaira has thus displayed professional skill, courage and devotion to duty of an exceptional order.

3. Major KANWAR SINGH SHARMA (IC 17819), Rajputana Rifles.

Unprecedented rains in July, 1977, caused Sahibi Nadi to rise in fury and engulf vast areas of Rajasthan, Haryana and the Union Teritory of Delhi. The uncontrollable floods rose meancingly and threatened to sweep away the earthen Bund at Dhansa. This Bund remained the sole protector of vast low lying rural and urban areas of Western Delhi. The Bund had been seriously eroded and was in grave danger of being washed away. The vast sea of water stood barely nine inches below the top of the Bund, It wah a serious situation and required urgent and effective counter measures.

Major Kanwar Singh Sharma, who was in Command of a Rajputana Rifles Company, was called upon in aid of civil authoritles. On 3rd August, 1977, his company was allotted six-hundred feet length of the Bund to be raised by three feet. Realising the urgency of the situation, Major Sharma set about the task immediately, He led his men, inspired them to work ceaselessly, completed the task in ten hours in incessant rain and saved vast areas of Delhi from possible flood havoc.

Again, on 8th August, 1977, the Bund was seriously eroded due to strong waves of water and was in grave danger of being swept away by the continuously increasing pressure of water from up stream. Under the guidance of Major Sharma, his men again undertook the task with renewed zeal and, by working non-stop for seventy two hours in incessant rain, saved the Bund.

Major Kanwar Singh Sharma thus displayed great courage, determination, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

4. Major PARAMJIT SINGH PAMMI (IC 12324), Engineers.

A cruise in a sail-boat, "the Albatross", from Bombay to Bandar Abbas (Iran) and back, was organised to acquaint the Sapper Officers with the high standards of watermanship required of them and to inculcate in them the spirit of adventure. Major Paramjit Singh Pammi and Capt. K. Sudhakar Rao, who modified the boat to make it sea-worthy, were primarily responsible for training of the crew and organisation of the cruise. The boat sailed from Bombay on 19th October and returned on 19th December, 1977.

Major Paramjit Singh Pammi was the skipper of the crew during the outward voyage. The one-way distance of the cruise was about 3,500 kilometres and, on the way, the Albatross docked at Dwarka, Karachi and Ras-a-Jask. During the voyage, he led his crew with fortitude and courage in adverse and stormy weather and displayed high skill in navigation and watermanship while steering through strong winds and high waves. This cruise, which is considered as a land-mark in the history of modern Indian Yachting, also served as a goodwill visit to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Major Paramjit Singh Pammi has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

5. Captain MADAN GOPAL (IC 29714), Gorkha Rifles.

On 5th December, 1976, while deployed in Mizoram, Captain Madan Gopal received information about a possible hide out of hostiles in the jungle. He volunteered to execute a raid and, after a reconnaissance of a large area with a handful of soldiers through a rugged and difficult terrain, he reached the hide-out. Taken by surprise, the hostiles started firing desperately. The fire was effectively returned and as a result, the hostiles started fleeing into the jungle for safety. Unmindful of the risk to his own life, Captain Madan Gopal pounced upon one of the hostiles and, after a tough hand to hand fight, succeeded in overpowering him. In this encounter, two more hostiles were killed and arms and ammunition were recovered.

In this action, Captain Madan Gopal displayed undaunted courage, determination, leadership and devotion to duty of an exceptonal order.

6. Captain LAL CHAND (SS 25905), Rajputana Rifles.

On 2nd November, 1976, Captain Lal Chand was assigned the task of intercepting an armed gang of 70 Mizo hostiles, who were trying to escape into a neighbouring country. Leading his platoon through hazardous terrain, he reached the site of their camp, located in a village in Mizoram, on 3rd November, 1976. He took stock of the situation and led a lightening raid on the hide-out in which four hostiles were killed and eight were wounded. As a result of intensive and accurate hostile fire, one Non Commissioned Officer was killed and a Junior Commissioned Officer was wounded. Undeterred by this loss, Captain Lal Chand continued to lead the assault with only a handful of men against the formidable armed gang of about seventy and forced them to flee into the jungle leaving behind their dead and weapons. Capt. Lal Chand infused exemplary comradeship amongst his men and brought back the dead Non Commissioned Officer and the badly wounded Junior Commissioned Officer, who was evacuated by air for hospitalisation.

In this action Captain Lal Chand displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

7. Captain KIRAN INDER KUMAR (IC 19067), Para.

Captain Kiran Inder Kumar was a member of the Indian Military Academy Expedition to Leopargyal 1967, Indian Saser Kangri Expedition 1970, Indo-Bhutan Expedition to Kansri Complex 1971, Indo British Expedition to Changabang 1974 and Indo-American Expedition to Nanda Devi 1976. He also led the Indo-Bhutan Expedition to Sangkar South.

As a member of the Army Kanchenjunga Expedition 1977 Capt. Kumar was given the task of arranging and packing of food for the Expedition and he completed it within the short time at his disposal. After Campt-2 was established, he was given the hazardous task of opening the route through the horizontal traverse on the ridge. He inspired his men by personal example and was able to open the route almost to the required point. While he was bringing down his rope subsequently, one of the members of his rope, Havildar Sukhvinder Singh, fell off a cliff and died. Notwithstanding his own safety, he jumped off the rope in a bid to disentangle Havildar Sukhvinder Singh from the fixed rope.

After the death of Havildar Sukhvinder Singh, the morale of most of the team was very low. Capt. Kumar rose to the occasion and volunteered to work on the deadly ridge. He established Camp-3 and made the route for quite a distance towards Camp-4. He was relieved by Major Pushkar Chand's rope Immediately on reaching Camp-3, Major Pushkar Chand fell sick and had to be brought down. Capt. Kumar volunteered to stay on. After a few days, Capt. Kumar came back to the ridge and established Camp-4 and opened the route to Camp 5 although he was feeling very weak due to a stomach trouble. But it was wholly due to his courage and determination that the team could make the required progress. In him was also found a competent replacement for the task entrusted to Major Prem Chand on the ridge. Capt Kumar was selected as member of the second summit party. He supported the first summit party from Camp-6. He was to go for the second attempt when he was called back by the leader as the monsoon clouds had, meanwhile, arisen very high and there was great danger of the whole team getting stuck.

Captain Kiran Inder Kumar thus displayed tremendous courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

8. Captain RAM BHAROSE SINGH BISHT (IC 16979), Army Ordnance Corps.

On 7th May, 1976, an explosion occurred in a Magazine of Ammunition Sub-Dept of Central Ordnance, Jabalpur. The Magazine contained large quantities of various types of explosives. As a result of the explosion, there was considerable damage to the magazine. At the time of accident, there were two persons, one combatant and one civilian labourer, inside the magazine. Both died instantaneously. The inside of the magazine and the corridor was littered with unexploded detonators and fuzes. Some of these unexploded detonators and fuzes were lying under the debris and big boulders which were part of the roof and the partition wall. This had made the entire outside area as well as the magazine a dangerous place.

The clearance of magazine was a risky operation and required removal of slabs and boulders with mechanical effort. Capt. Bisht, who was one of the members of the clearance team, in utter disregard to his personal safety, directed the operation and succeeded in removing the dangerous ammunition from the magazine. Most of the clearance work was done by Capt. Bisht himself.

In this action, Captain Ram Bharose Singh Bisht displayed great courage, professional competence and devotion to duty of an exceptional order.

9. Captain ASHOK KUMAR SINGH (IC 27941), Engineers.

A cruise in a twenty feet sail-boat, the Albatross, from Bombay to Bandar Abbas in Iran, was organised with a view to fostering the spirit of adventure among the Sapper Officers and acquainting them with the high standards of watermanship. The boat left Bombay on 19th October and returned on 19th December, 1977. The boat was manned by three officers of the corps of Engineers on its outward voyage and by another crew of three officers of its return voyage.

Capt. Ashok Kumar Singh was one of the crew on the boat which covered 3,500 kilometres on its return journey. The boat, on its way, docked at Karachi. When, on several occasions during the voyage, the boat was overtaken by adverse weather with strong winds and high waves, Capt. Singh, with his watermanship, navigational skill and fortitude, helped his crew mates to overcome these hazards. This cruise which has been considered as a land-mark in the history of Indian Yachting, also served as a good-will viist to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Captain Ashok Kumar Singh has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

10. Captain LUV KUMAR SHINGHAL (IC 19954), Engineers.

A cruise in a twenty-feet sail boat, 'the Albatross', from Bombay to Bandar Abbas in Iran, was organised with a view to fostering the spirit of adventure among Sapper officers and to acquaint them with the high standards of watermanship. The boat left Bombay on 19th October and returned on 19th December, 1977. The boat was manned by three officers of the Corps of Engineers on its outward voyage and by another crew of three officers on its return voyage.

Capt. Luv Kumar Shinghal was a member of the crew on outgoing voyage. The one way distance of the cruise was about 3,500 kilometres and the Albatross docked at Dwarka, Karachi and Ras-e-Jask. On several occasions during this voyage when the boat passed through adverse weather with strong winds and high waves, Capt. Shinghal, with his high watermanship and navigational skill, helped his crew mates to steer the boat safely on its onward journey. The cruise which has been considered as a land mark in the history of Indian Yachting also served as a good-will visit to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Captain Luv Kumar Shinghal has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

11. Captain AMRESHWAR PRATAP SINGH (IC 25819), Engineers.

A cruise in a twenty-feet sail boat named 'the Albatross' from Bombay to Bandar Abbas in Iran, was organised with a view to fostering the spirit of adventure among Sapper officers and to acquaint them with the high standards of watermanship. The boat left Bombay on 19th October and returned on 19th December 1977. The boat was manned by three officers of the Corps of Engineers on its outward voyage and by another crew of three officers on its return voyage.

Capt. Amreshwar Pratap Singh was a member of the crew on the outgoing voyage which covered a distance of about 3,500 kilometres. On the way, the Albatross docked at Dwarka, Karachi and Ras-e-Jask. On several occasions during this voyage when the boat passed through adverse weather with

strong winds and high sea waves, Capt. Pratap Singh, with his high watermanship and navigational skill, helped his crew-mates to steer the boat safely on its onward journey. The cruise which has been considered as a landmark in the history of Indian Yachting, also served as a good-will visit to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Captain Amreshwar Pratap Singh has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

12. Captain PUSHPINDER SINGH BEDI (IC 25414), Engineers.

A cruise in a twenty-feet sail boat, named 'the Albatross' from Bombay to Bandar Abbas in Iran, was organised with a view to fostering this the spirit of adventure among Sapper officers and to acquaint them with the high standards of watermanship. The boat left Bombay on 19th October and returned on 19th December, 1977. The boat was manned by three officers of the Corps of Engineers on its outward voyage and by another crew of three officers on its return voyage.

Capt. Pushpinder Singh Bedi was one of the crew on the Albatross which covered 3,500 kilometres on its return journey. The boat, on its way, docked at Karachi. When on several occasions, the boat was overtaken by adverse weather with strong winds and high sea waves, Capt. Bedi, with his skill in watermanship and navigation, helped his crew-mates to get the boat steer safely through these hazards. The cruise which has been considered as a land mark in the history of Indian Yachting also served as good-will visit to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Captain Pushpinder Singh Bedi has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

13. Captain KANTANNENI SUDHAKAR RAO (IC 19038), Engineers.

A cruise in a twenty-feet sail boat, named 'the Albatross', from Bombay to Bandar Abbas in Iran, was organised with a view to fostering this the spirit of adventure among Sapper Officers and to acquaint them with the high standards of a watermanship. The boat left Bombay on 19th October and returned on 19th December, 1977. The boat was manned by three officers of the Corps of Engineers on its outward voyage and by another crew of three officers on its return voyage.

Capt. Kantanneni Sudhakar Rao was the Skipper of the crew during return voyage of the Albatross. On its way back, the boat covered a distance of about 3,500 kilometres and docked at Karachi. During the voyage, he led his crew with fortitude and courage and inspired them to display high watermanship and navigational skill in the face of adverse weather conditions. This enabled him to steer the boat safely back to its destination. This cruise which has been considered as a land mark in the history of Indian Yachting, also served as a good-will visit to Iran and contributed further in cementing our cordial relations with that country.

Captain Kantanneni Sudhakar Rao has thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

14. Lieutenant CHANDRASEN DINKARRAO NIKAM (IC 30931), Engineers.

Lieutenant Chandrasen Dinkarrao Nikam was the Officer-in-Charge of rescue operations during Kumbh Mela at Allahabad during November, 1976, to February, 1977. He handled the extremely hazardous and difficult assignment of co-ordinating these operations during the Mela. The unprecedented magnitude of pilgrims crowding into the insufficient number of boats, particularly on peak days, called for vigilance and constant alertness all along the river line and particularly in the Sangam area. Undeterred by the extreme cold and torrential rains on a number of peak days and in complete disregard to his own safety and comforts, he moved in his boat from one point to another encouraging his men in the rescue team. As a result of this, four major tragedies were averted on various occasions and seventy-six lives were saved by his rescue teams.

Lieutenant Chandrasen Dinkarrao Nikam thus displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

15. Lieutenant HARINDER SINGH CHEEMA (SS-27191), Engineers.

Lieutenant Harinder Singh Cheema was detailed to move with four boat teams to Tilaknagar area on 6th August, 1977, where approximately 200 houses were under 4 to 5 feet of water during floods in Delhi. By 1630 hours, he had established himself at Tilaknagar and his boats started evacuating civilians and their belongings. He worked till late night and the whole of the following day, in complete disregard to his health and comforts. Although he developed high temperature on 7th/8th August, 1977, he continued to work ceaselessly till midnight of 7th/8th August, 1977, when his condition worsened and he was evacuated to the Army Hospital with high fever. He was discharged on 10th August, 1977.

On 11th August, 1977, a new task in Palam area was assigned to his company. Lieutenant Cheema volunteered for the assignment and, despite his ill health, moved to Palam within a couple of hours. By the afternoon, he had established two Ferry Services one from Bamnauli to Chawla Bridge and the other to the isolated village of Dhulsiras, Pochanpur and Ambarhai. Till then, the villagers in Palam area had undergone immense hardships. It is a tribute to Lieutenant Harinder Singh Cheema's organising ability and hard work that, within a couple of days, the dissatisfied villagers were completely won over. He and his men worked from dawn to dusk everyday and ferried men and material to keep the life line open to the isolated villages till 30th August, 1977. During this period approximately 27,500 persons, 5000 packages and 10 tonnes of essential supplies and ration were ferried by his rescue team.

Lieutenant Harinder Singh Cheema thus displayed great courage, exemplary leadership and devotion to duty of an exceptional order.

16. IC 46305 Subedar PANDURANG UDUGUDE, Maratha Light Infantry.

A party led by Subedar Pandurang Udugude on a high altitude patrol in Jammu and Kashmir on 13th January, 1977, got entrapped in an avalanche and landslide. All the members of the party were buried under heavy snow. Subedar Udugude was himself buried up to his neck. He did not lose his wits and managed to extricate himself. Though badly wounded and under terrible shock, he immediately started searching for the members of his party and was successful in rescuing his men, except one. All the rescued personnel were badly wounded and shock stricken.

In this action, Subedar Pandurang Udugude displayed presence of mind, exceptional devotion to duty and courage of a very high order.

17. IC 71724 Naib Subedar RAGHBIR SINGH, Signals.

On the night of the 11th November, 1976, intimation was received at the Headquarters of a Signal Regiment, deployed in the Northern Sector, that a huge fire had broken out in a General Hospital at Leh. The whole Regiment moved to the hospital with fire fighting equipment.

Naib Subedar Raghbir Singh, who was a member of the fire fighting party detailed to combat the fire raging near the gas plant of the Hospital, observed that the corridor leading to the gas plant was about to catch fire. Realising the danger and disregarding the risk from the flying splinters and the fire raging all around, he climbed the roof of the corridor and pulled down the gas storage tank which was on top of the corridor and, with the help of other personnel, dragged it to a safe distance. He went up the roof again. Helped by another comrade, he broke open the roof by using crow-bars and succeeded in isolating the gas plant from fire on the roof top. His efforts were largely responsible in preventing fire from spreading to the gas plant which could have been catastrophic.

In this operation, Naib Subedar Raghbir Singh displayed great courage, exemplary presence of mind and devotion to duty of an exceptional order.

18. JC-76881 Naib Subedar KUSHAL SINGH, Engineers.

Naib Subedar Kushal Singh was put in command of a platoon with six boats for flood relief duties in Delhi during August, 1977. On 8th August, 1977, at about 1500 hours, he was ordered to move his force to the flood affected area of Khaira in Najafgarh sub-division and establish himself before dark. Inspite of the short notice, Naib Subedar Kushal Singh moved his platoon, with complete equipment, in less than an hour and led his convoy confidently along a dilapidated road which, at places, was under two to three feet of water.

On reaching the site, he found that the entire area near village Khaira was inundated and the water level was still rising. The population was completely demoralised and panic stricken. On seeing the plight of the villagers, he straightway ordered three boats to be put in water for evacuation of the villagers, inspite of the approaching darkness. He and his men worked continuously till late hours in the night and were able to ease the panic among the villagers and restore their confidence. With the help of his small detachment, he was able, during the next four days, to evacuate 2,886 persons and ferry 17.3 tonnes of dry rations and 1.4 tonnes of cooked rations to the flood affected villages.

Naib Subedar Kushal Singh thus displayed initiative, courage, organising ability and devotion to duty of an exceptional order.

19. 1318393 Naib Subedar VALAPPILE VEETTIL BALAN, Engineers.

Naib Subedar Valappile Veettil Balan was detailed in November, 1976, on the task of construction of a Bailey Pontoon Bridge across the river Yamuna during Kumbh Mela at Allahabad. He assisted in recce and execution of the task. He was subsequently made junior Commissioned Officer-in-Charge of the electrification of the bridge. The Bailey equipment is not designed for electric fittings. With his ingenuity and improvisation skills, he completed the electrification of the bridge in a record time with the minimal resources available to him. On the peak days of the Kumbh Mela, he assisted in the organisation of rescue work in river Yamuna. By his initiative and personal example in the face of inclement weather, he motivated the members of the rescue teams to maintain high standards of performance. He also ensured hundred percent serviceability of powered boats at all times by arranging for their regular maintenance and timely repairs.

Naib Subedar Valappile Veettil Balan has thus displayed professional skill, initiative and devotion to duty of an exceptional order.

20. 1514715 Havildar KASHIRAM KALAMBE, Engineers.

An Inland Water Transport Operating Company of Engineers, Located at Dakshneswar, is surrounded by an industrial area. On 15th February, 1977, at 1300 hours, a cloud of black smoke was seen over the Wimco Match Factory, which is very close to the unit lines. Orders were immediately issued by the Unit Commander to raise the fire alarm and to rush all possible help to the factory which was on fire.

Havildar Kashiram Kalambe was a member of the team of the first fifty personnel of the unit who reached the site with fire fighting equipment. It was noticed that a number of workers were trapped in a burning shed. In complete disregard to his safety, Havildar Kalambe rushed into the burning shed to rescue the workers. A huge fire was blazing inside the shed and the machinery, furniture and match boxes, stored inside, were all in flames. He kept on rushing in and out of the shed carrying bodies of unconscious workers trapped inside. Inspired by his example, a number of other persons of the unit assisted him and all the workers were thus rescued.

In this action, Havildar Kashiram Kalambe displayed great courage, initiative and devotion to duty of an exceptional order.

21. 1516199 Lance Havildar ABDUL SALAM, Engineers.

Lance Havildar Abdul Salam was detailed during floods in Delhi to evacuate marooned residents of Khayala township from 9th to 17th August, 1977. The township had 6 to 8 feet of water and the water was infested with snakes. During this assignment, Lance Havildar Abdul Salam, with one universal assault boat fitted with outboard motor under his charge, helped evacuate approximately 500 persons including their personal belongings. His crew helped to evacuate the people from houses where they had often to wade through chest deep water.

On 13th August, 1977, while he was returning with a boat with 14 civilians including women and children abroad, the boat accidentally hit a submerged boundary pillar. Three rivets were sheared off and the boat started filling up with water. There was a momentary panic amongst the civilians, but Lance Havildar Abdul Salam quickly controlled them and got his crew members to plug the three holes with handkerchiefs. The water shipped in was bailed out and the boat was brought back safely with all abroad. By his deft handling of the situation, he averted a possible tragedy.

Lance Havildar Abdul Salam thus displayed presence of mind, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

22. 1319116 Naik ANNAKULAM MOHANRAJ, Engineers.

Naik Annakulam Mohanraj was the Commander of a rescue team which operated from an assault boat fitted with an outboard-motor during the Kumbh Mela at Allahabad. To avoid any mishap this team normally paddled its way around the assigned 'beat'. It was only when a boat capsized or a pilgrim was thrown overboard that the O.B.M. was quickly started and the rescue boat raced skillfully through the traffic to reach the exact spot in the river and the drowning pilgrims were rescued by members of the team.

Naik Mohanraj stuck to his duties in complete disregard to his own safety and comforts at all times even when the situation was almost nightmarish on the peak days. There was incessant and continuous torrential rains on two occasions but he stayed on his job and handled his boat and inspired his crew to stick to their duties even without rest or food. On two other such occasions, he was personally responsible for rescuing 27 drowning pilgrims many of whom were women and children.

Naik Annakulam Mohanraj thus displayed leadership, courage, professional skill and devotion to duty of an exceptional order.

23. 1341495 Naik RAMAN KANNAN, Engineers.

Naik Raman Kannan was the Commander of a rescue team which operated from an assault boat. Because of the currents and additional hazards created by the use of the OBM on the country boats, this team was required to paddle around its assigned 'beat'. It was only when a boat capsized or a pilgrim was thrown overboard that the OBM was quickly started and the rescue boat skillfully cut through the traffic with speed to reach the exact spot in the river and the drowning pilgrims were rescued by members of the team. He performed his duties in complete disregard to his own safety and under very trying conditions on the peak days. There was torrential downpours on two occasions and Naik Kannan handled his boat and inspired his crew to stick to their jobs without rest or food. On two other such occasions, he was personally responsible for rescuing 13 drowning pilgrims many of whom were women and children.

Naik Raman Kannan thus displayed leadership, courage, professional skill and devotion to duty of an exceptional order.

24. 1525887 Naik RESHAM SINGH, Engineers.

During the flood in Delhi in July/August, 1977, Naik Resham Singh was operating an out-board-motor fitted boat at Jhatikra Base near Najafgarh. On 20th August, 1977, at about 1420 hours, his boat was ordered to ferry some villagers to a high ground near village Daulatpur. As his boat was approaching the landing site, he learnt that the boat proceeding to pindwala Kalan had capsized. He immediately disembarked the passengers, re-routed his boat at top speed, reached the site of the accident within about 25 minutes and ferried the rescued passengers of the overturned-boat to safety.

In this action Naik Resham Singh displayed courage, initiative and devotion to duty of an exceptional order.

25. 2446571 Naik SANT RAM,
Punjab Regiment.

On 19th March, 1977, at 1900 hours, a major fire broke out in the building of civil supply godown at Bamkhat in District Chamba (Himachal Pradesh). The entire building, with its wooden structure, was in flames. Naik Sant Ram was detailed to salvage the wheat bags from the burning godown. It was not possible to take out any wheat bags through the doors. A breach in the side wall was, therefore, made by using explosives. Naik Sant Ram rushed through the breach and started pulling out the wheat bags. By that time, the upper layer of wheat bags also caught fire due to the falling of the burning beams. He requested the firemen to direct the water hose through the breach to extinguish the fire. Due to the force of water, the wall gave way and the stones hit the Non Commissioned Officer and his comrades, injuring them badly. Naik Sant Ram sustained a head injury and started bleeding profusely.

Unmindful of the wounds sustained, he first helped his comrades out of the breach. In this process, he was completely exhausted due to loss of blood and had to be evacuated from the breach in an unconscious state and admitted to Military hospital Dalhousie in a serious condition.

In this action Naik Sant Ram displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

26. 73111128 Naik CHOTSALI AHOVI,
Border Security Force.

Naik Chotsali Ahovi of a Company of Border Security Force Battalion, deployed in Nagaland, was given a few selected men to work on specific assignments. Naik Ahovi set about his task in a meticulous, methodical and imaginative manner. He motivated his men and started operating in small groups, and at times singly, and most of the time unarmed. Due to his untiring and persistent efforts, he was able to break fresh ground. Within a year, the work done by him and his dedicated team resulted in a number of successful operations and recovery of arms, ammunition and documents.

Subsequently, he and his men were assigned tasks which covered areas all over Nagaland. They operated, day-in-and day-out, in adverse climatic conditions and difficult terrain. In the new assignment also a remarkable success was achieved in December, 1974, when Naik Chotsali Ahovi, all by himself, moved continuously for two days and two nights which served as a sound basis for assessment and planning for the subsequent operations of the security forces.

Naik Chotsali Ahovi thus displayed great courage, leadership, organising ability, and devotion to duty of an exceptional order.

27. 1521936 Lance Naik HARNEK SINGH,
Engineers.

On 15th February, 1977, the Wimco Match Factory at Dakshineswar, Calcutta, caught fire. A team of fifty men was drawn from an Engineer Company located nearby and sent to the site under the leadership of Naib Subedar Chaman Singh, Lance Naik Harnek Singh was a member of this fire fighting team.

While the fire fighting was still being organised, Lance Naik Harnek Singh took up his hose pipe and, standing at a close range, directed it on a smoke filled shed. When the smoke cleared, he noticed that some workers were trapped behind a collapsed portion of the red hot solid steel shed. In disregard of his own safety under conditions of rising temperature and the danger of the shed collapsing due to advancing flames, he kept his hose trained on to the trapped persons to ensure that the flames did not reach them. On seeing the workers collapsing, he left his hose in the direction of these persons, rushed through a stretch of ten yards of burning debris twice and brought back two of the collapsed individuals. On the third occasion, he himself was blacked out for a couple of minutes. When he regained consciousness, he was still thinking about the safety of the two men he had rescued.

In this action, Lance Naik Harnek Singh displayed courage, initiative and devotion to duty of an exceptional order.

28. 1452015 Sapper RAM DIYA,
Engineers.

Due to the heavy rains in September, 1976, most of the rivers in Bihar were in spate. On 18th September, 1976, due to breaches on the protective bunds along the rivers Ganges and Burhi Gundak, most of the areas of Begusarai District of Bihar were flooded. The Government of Bihar requested for Army aid for flood relief operations and on 23rd September, 1976, an Engineer Regiment was ordered to rush a Flood Relief Task Force to Begusarai.

Sapper Ram Diya was one of the members of the Task Force detachment operating in a block of the district. As he was running temperature and had bad cold, he was left behind in the camp which was located near the railway station. On the 23rd September, 1976, at about 0900 hours, two boys while walking along the railway embankment near the camp of the Army detachment slipped and fell into the floor waters. The civilians standing nearby shouted for help. Sapper Ram Diya, in utter disregard to his physical condition, ran out of his tent and jumped into the flowing water. He swam towards the drowning boys and caught hold of one of them who was nearer. He slung him over his shoulder and swam towards the other. He managed to catch the other also and rescued both of them. After necessary first aid, both the boys survived.

In this action, Sapper Ram Diya displayed exemplary courage, promptitude and devotion to duty of an exceptional order.

29. 1402421 Sapper YASBIR SINGH,
Engineers.

Due to heavy rains in September, 1976, most of the rivers in Bihar were in spate. On 18th September, 1976, due to breaches on the protective bunds along the rivers Ganges and Burhi Gandak, most of the areas of Begusarai district were flooded. The State Government requested for Army aid in flood relief operations and on 20th September, 1976, an Engineer Regiment was ordered to rush a flood relief Task Force to Begusarai.

Sapper Yasbir Singh was a member of the crew of a boat deployed in Ballia block to ferry foodstuffs between Lakhmenia and a nearby village. On 24th September, 1976, when the boat was being loaded at Lakhmenia, shouts for help were heard. Sapper Yasbir Singh rushed to the spot and saw two girls drifting away in the current of the flood waters. Unmindful of his own safety, he jumped into the water. He swam towards one of the girls, who had by then gone under water. He dived and, with his skill at swimming, managed to bring her out. Meanwhile, inspired by his action, one of his comrades jumped into the water and saved the other girl.

In this action, Sapper Yasbir Singh displayed great courage, initiative, skill and devotion to duty of an exceptional order.

30. 1520691 Sapper ZILE SINGH,
Engineers.

During floods in Delhi in July/August, 1977, Sapper Zile Singh was one of the crew in the out-board-motor fitted boat operated by Sapper Mohammed Allauddin. The boat was operating at Jhatikra Base in Najafgarh Sector.

On 20th August, 1977, about 1400 hours, the boat was ordered to ferry some cooked rations and villagers to Pindwala Kalan. When the boat was three hundred yards short of the village, some water entered the boat and the passengers started shifting to the other side away from the water. He along with other members of the crew tried to stop the passengers from moving but failed and the boat overturned. Without caring for the risk to his life, he started rescuing the drowning people and, with the help of other members of the crew, rescued fifteen persons in all and kept them at safe place till a rescue boat ferried them across to the village.

In this action, Sapper Zile Singh displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

31. 1537528 Sapper MAHMUND KHAN,
Engineers.

During floods in Delhi in July/August, 1977, Sapper Mahmud Khan was one of the crew in the out-board-motor fitted boat operated by Sapper Mohammad Allauddin. The boat was operating at Jhatikra Base in Najafgarh Sector. On 20th August, 1977, at about 1400 hours, their boat was ordered to ferry some cooked rations and villagers to Pindwala Kalan. When the boat was three hundred yards short of the village, some water entered the boat and the passengers started shifting to the other side away from the water. He along with other members of crew tried to stop the passengers from moving but failed and the boat overturned.

Without caring for his own safety, he started rescuing the drowning people and, with he help of other crew members, he was able to rescue 15 persons in all. These people were kept at safe place till a rescue boat ferried them across the village.

In this action, Sapper Mahmund Khan displayed courage, determination and devotion to duty of an exceptional order.

32. 13917986 Sepoy LAL SINGH PANNU,
Army Medical Corps.

On the 11th November, 1976, when Sepoy Lal Singh Pannu was on duty in Acute Surgical Ward of a General Hospital located in Northern Sector, a fire broke out in the hospital. Within a short period, the fire reached the Acute Surgical Ward. Sepoy SCR Pilla, a patient with multiple fractures, was on dangerously ill list and was having intravenous infusion. Sepoy Pannu discontinued the infusion and, in order to save the patient, carried him to a safe place. While carrying the patient, he got suffocated and fainted. Others present near the exist brought both of them to a safe place.

On regaining consciousness, Sepoy Pannu immediately went to the barracks of the Medical Battalion where evacuated patients were accommodated. He started the intravenous infusion to the dangerously ill patient to save his life.

In this action, Sepoy Lal Singh Pannu displayed courage, presence of mind, professional competence and devotion to duty of a high order.

K. C. MADAPPA
Secretary to the President

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th December 1979

No. UI/151.3/31/78.—Whereas, upon the invitation of the Government of India and by the decision of the General Assembly of the United Nations, the Third General Conference of the United Nations Industrial Development Organisation shall be held in New Delhi from 21st January, 1980 to 8th February, 1980;

And whereas, an agreement was concluded on the 12th day of November, 1979 in Vienna between the representatives of Government of India and United Nations regarding the arrangements for the Third General Conference of the United Nations Industrial Development Organisation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions set out in the Schedule to the said Act shall, to the extent it is necessary, to give effect to the agreement hereto annexed, apply *mutatis mutandis* to the Third General Conference of the Nations Industrial Development Organisation and its representatives and officers.

Agreement

Between the Government of India and the United Nations regarding the arrangements for the Third General Conference of the United Nations Industrial Development Organisation.

Preamble

Following adoption by the General Assembly of the United Nations by resolution A/32/164 of the invitation of the Government of India to hold the Third General Conference of the United Nations Industrial Development Organisation at New Delhi from 21 January—8 February 1980 (hereinafter referred to as the 'Conference') and bearing in mind the terms of the General Assembly resolution 31/140 of 17 December 1976 which provides that United Nations bodies may hold sessions away from their established headquarters when the government issuing an invitation for a session to be held within its territory has agreed to defray, after consultation with the Secretary General as to their nature and possible extent, the actual additional costs directly or indirectly involved, the Government of India (Hereinafter referred to as 'the Government') and the United Nations hereby agree as follows :

I. *Participation in the Conference*

Participation in the Conference shall be open to the following :

(a) Representatives of States invited to the Conference; ence;

(b) Representatives of the United Nations Council for Nambia;

(c) Representatives of the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency;

(d) Observers for national liberation movements or organisations entitled to participate in the Conference;

(e) Observers for other intergovernmental organisations outside the United Nations system invited to the Conference; and

(f) Observers for non-governmental organisations invited to the Conference.

II. *Premises, Equipment, Utilities and Statutory Supplies*

1. The Government shall make available at its expense such conference space and facilities at New Delhi as will be necessary for the holding of the Conference. The Conference premises and their facilities are listed in Annex II to this Agreement. Suitable working areas and all the necessary equipment for the Press and other information media will also be provided by the Government.

2. The premises shall remain at the disposition of the United Nations throughout the Conference and for such additional time in advance of the opening and after the closing as the Secretariat of UNIDO, on consultation with the Government shall, deem necessary for the preparation and settlement of all matters connected with the Conference.

3. The Government shall, at its expense, furnish, equip and maintain in good repair all the aforementioned rooms and offices, which are listed in Annex II, in a manner adequate to the effective conduct of the Conference.

4. The Government shall, at its expense, furnish and maintain such equipment as mimeograph, other duplicating and photocopying machines, type-writers with keyboards in the languages required, tape recorders and such other equipment as is necessary for the effective conduct of the Conference as listed in Annex II.

5. The Government shall also provide, at its expense, durable items of necessary office supplies such as staplers, ashtrays, scissors, waste-paper baskets, letter openers, desk calenders, blotting pads, etc., for the purpose of the Conference.

6. The Government shall provide within the Conference area a Bank, a Post Office and telephone, telegraph and travel facilities, first aid facilities, a cafeteria and restaurant, as well as multilingual information services. Space for the public invited or permitted to attend the Conference should also be provided.

7. The Government shall pay for use of all necessary utility services including telephone communications of the Secretariat of the Conference in New Delhi and all duly authorised official communications by telex and telephone between the Secretariat of the Conference and UNIDO Headquarters in Vienna and United Nations Headquarters at New York.

8. UNIDO shall provide at its expense all stationery supplies necessary for the functioning of the Conference, as well as the stencils and paper required for documents reproduction. The Government shall bear and pay the transport and insurance charges for their shipment from Vienna or New York to New Delhi and return.

9. The conference area shall also have medical facilities which shall be adequate to provide first-aid for emergencies. Immediate access and admission to hospital will be assured by the Government whenever required, and the necessary transport shall be constantly available on call.

III. *Staff*

1. The United Nations will require at New Delhi the international staff listed in Annex I and the Government shall put at the disposal of the United Nations such staff as required.

2. The Government shall appoint a liaison officer who shall be responsible in consultation with the UNIDO for making and carrying out the administrative and personnel arrangements for the Conference in terms of this Agreement.

3. The Government, following consultation with UNIDO, will make available at its expense, and under its administrative control, the local staff listed in Annex IV and required to :

(a) Reproduce and distribute the documents needed by and for the Conference;

(b) Perform duties such as typists, clerks, messengers, security guards, store keepers, and conference room personnel, in lieu of the UNIDO staff available in Vienna;

(c) Provide the services referred to in paragraph 6 of Article II and such staff that may be necessary for custodial and maintenance services for the equipment and premises made available in connection with the Conference.

4. The local staff referred to above will be placed under the general supervision of the Executive Director of UNIDO and made available before and after the Conference to the extent required for its conduct.

IV. *Transportation and Subsistence*

1. Travel to the Conference will, to the extent feasible, be based on airline excursion fares from their respective duty stations to New Delhi and return. Any member of the International staff who wishes to return to his duty station by an indirect route may do so provided that he himself pays and excess over the cost of such excursion fares/direct commercial flight. International staff travelling to New Delhi will be paid subsistence and granted entitlements in accordance with the United Nations rules and practice. The subsistence rate at New Delhi will be established by the United Nations in the light of the cost of living at the time of the Conference.

2. The Government shall provide at its expense seven chauffeur driven cars, one station wagon and two micro buses for the use of the Executive Director of UNIDO and the Conference staff. The Government shall also provide, at no cost to UNIDO such additional facilities as may be required for the transportation of UNIDO staff from the Delhi Airport to their hotels in Delhi upon arrival and from their hotels to the Airport departure. The Government shall also provide for the transportation of Conference equipments and materials from the Airport (or port) to the Conference premises and back.

3. The Government shall make available facilities to assist delegations, Secretariat, Press and other participants in the Conference in making hotel reservations for the duration of the Conference. All such facilities will be provided at the cost of the participants, and the accounts will be directly settled by the participants with the hotel authorities and others concerned. The Government shall have and accept no responsibility or liability in this respect.

V. *Extra Costs*

1. Pursuant to General Assembly resolution 31/140, the Government shall bear the actual additional costs directly or indirectly involved in holding the Conference away from Vienna, the established Headquarters of UNIDO. The extent of such extra costs will be determined by maintaining a dual set of accounts in US dollars in accordance with Annex III for :

(i) Cost to the United Nations for holding the Conference at New Delhi.

(ii) the parallel cost to the United Nations had it been held at Vienna.

The difference between (i) and (ii) will represent the additional cost payable by the Government of India to the United Nations.

2. In the case of international staff, a separate account will be maintained for each person to enable the equivalent United Nations cost for a Vienna meeting to be established in accordance with Annex III, paragraph 1.

3. In the case of local staff as shown in Annex IV, a *pro rata* adjustment will be made should the duration of the Conference differ from that provided for in the budget.

VI. *Financial Arrangements*

1. The Government shall advance on 1 December 1979 a sum of Rupees 545,701 and in addition pay Air India directly the cost of air fares for the international staff, as provided in Annex I, thus meeting the estimated extra costs of the Conference as defined under Article V. The advance shall be deposited in the Conference Rupees Bank Account of the United Nations in New Delhi and disbursed by the United Nations to pay its obligations in respect of the Conference.

2. A General Account will be maintained by the United Nations in US dollars in the name of the Government. It will be :

(a) Credited for all advances deposited in accordance with paragraph 1 above converted into US dollars at the United Nations operational rate of exchange on the day the deposits are made.

(b) Debited with the extra costs of the Conference as determined in US dollars under Article V, and Annex III.

(c) At the close of the accounts, debited with any unspent balance of Rupees from the deposits mentioned in paragraph 1 above, converted into US dollars at the United Nations operational rate of exchange on that day. The balance will be returned to the Government.

The balance of the General Account in dollars will thus represent the sum to be settled between the Government and the United Nations. Any balance in favour of the Government will be settled in Rupees by the United Nations; any balance in favour of the United Nations will be settled in Us dollars by the Government.

3. The United Nations will pay the international staff in New Delhi 80 per cent of subsistence and terminal allowance in Rupees; the remaining 20 per cent will be paid at the choice of the individual staff members either in US dollars or in Rupees at the United Nations operational rate of exchange.

VII. *Privileges and Immunities*

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall be applicable with respect to the Conference. Accordingly, the representatives of States and of the United Nations Council for Namibia at the Conference, officials of the United Nations performing functions in connection with the Conference and experts on missions for the United Nations performing functions in connection with the Conference shall enjoy the privileges and immunities provided in the said Convention for representatives of Member-States and officials of the United Nations and experts on mission for the United Nations with the exceptions provided for in Article IV, Section 15 of the said Convention.

2. Observers from the specialised agencies at the Conference shall enjoy the privileges and immunities under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies. Observers from the International Atomic Energy Agency at the Conference shall enjoy the privileges and immunities provided under Articles VI and IX of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency. Observers from other intergovernmental and non-governmental organisations to the Conference as observers shall enjoy the privileges and immunities provided under Article V of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

3. Without prejudice to the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, all persons performing functions in connection with the Conference, including representatives of international non-governmental organisations, representatives of foreign information media and other persons invited to the Conference by the United Nations who are duly accredited as such shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity in connection with the Conference.

4. The Government shall ensure that no impediment is imposed on transit to and from the Conference of the following categories of persons attending the Conference: representatives of Governments and of the United Nations Council for Namibia and their immediate facilities, representatives of specialized agencies, intergovernmental organisations and their immediate families; officials and experts of the United Nations and their immediate families; observers of the International non-governmental organisations having consultative status with UNIDO and with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC); representatives of the Press or radio, television, film or other information agencies accredited by the United Nations upon consultation with the Government and other persons officially invited to the Conference by the United Nations.

5. All the persons referred to in this section with the exception of local staff recruited by the Government shall have the right of entry into and exit from India. They shall be granted reasonable facilities for speedy travel. Visas where required shall be granted, free of charge as speedily as possible and, when applications are received at least two and a half weeks before the opening of the Conference, not later than two weeks before the date of the Conference. If the application for the visa is not made at least two and a half weeks before the opening of the Conference, the visa shall be granted not later than three days from the receipt of the application. Exit permits, where required, shall be granted free of charge and as speedily as possible, in any case not later than three days before the closing of the Conference.

6. In addition, all participants and all persons performing functions in connection with the Conference shall enjoy such facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Conference.

7. During the Conference, including the preparatory and final stages of the Conference, the buildings and areas referred to in Article II shall be deemed to constitute United Nations premises and access thereto shall be subject to the authority and control of UNIDO.

8. The Government shall allow the importation of all equipment and supplies necessary for the Conference, including those needed for the official requirements and entertainment schedule of the Conference, and exempt them from the payment of the import duties and other duties and taxes to which they are liable. It shall issue without delay to the United Nations any necessary import and export permits.

VIII. *Police Protection*

The Government shall provide at its expense such police protection as may be required to ensure the peaceful and orderly functioning of the Conference. While such police services shall be under the direct supervision and control of an officer of the medium/senior rank provided by the Government, this officer shall work in close-cooperation with the responsible UNIDO official so as to ensure a proper atmosphere of security and tranquility.

IX. *Liability*

1. The Government shall, either directly or through appropriate insurance coverage, be responsible for dealing with any actions, claims or other demands against the United Nations or its personnel and arising out of :—

(a) Injury or damage to person or property in the premises referred to in Article II above and in Annex II of this Agreement;

(b) Injury or damage to person or property caused by, or incurred by using, the transport services referred to in Article VI, paragraph 2 above;

(c) the employment for the Conference of the personnel referred to in Article III, paragraphs 2 and 3 above and in Annex IV to this Agreement.

2. The Government shall hold harmless the United Nations and its personnel in respect of such actions, claims or other demands, except when it is agreed by the parties hereto that such damage or injury is caused by gross negligence or wilful misconduct of the United Nations personnel in which case steps shall be taken to establish the civil liability of the party responsible.

Any such actions, claims or other demands arising out of events attributable to *force majeure* shall exempt the Government and the United Nations from any obligation.

3. Notwithstanding anything contained in paragraphs 1 and 2 above, the Government and the United Nations shall not be liable for any consequential, remote or indirect damages arising out of such actions, claims or other demands.

X. *Settlement of Disputes*

1. Any dispute between the United Nations and the Government which involves a question of principle concerning the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall be dealt with in accordance with the procedure prescribed in section 30 of the Convention.

2. Any dispute between the United Nations and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, other than a dispute covered by paragraph 1, shall be settled by negotiations between the parties. If a satisfactory solution has not been reached within a period of 12 months from the date when the dispute arose, the parties agree to refer it to any other mode of settlement of their own choice for early settlement of the dispute.

XI. *General Provisions*

1. This Agreement may be modified by a written agreement between the Government and the United Nations.

2. This Agreement shall enter into force on the date of its signature by the parties and shall remain in force for the duration of the Conference and for a period thereafter as may be necessary for the settlement of all matters relating to the Conference.

3. IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the Government of India and of the United Nations have signed this Agreement in Vienna this day of twelfth November One Thousand nine hundred and seventy nine.

For the Government of India — For the United Nations

K. R. P. SINGH — ABD-EL RAHMAN KHANE

S. V. PURSHOTTAM, Jt. Secy (UN)
Ministry of External Affairs.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPTT. OF HEALTH)

New Delhi, the 27th November 1979

RESOLUTION

No. V.27020/29/77-Ay.Desk-II.—Whereas a General Meeting of the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy, a Society registered under the Societies Registration Act, was convened for the purpose of expressing its wish and for voting on the dissolution of the said Society, and

Whereas in the meeting of the said Council held on 1-4-78, it has been resolved to dissolve the Society with effect from the dated as may be notified by the Central Government.

Now, therefore, the Central Government hereby notifies the 10th January, 1979 as the date with effect from which the Central Council for Research in India Medicine and Homoeopathy shall stand dissolved.

2. The Government of India are also pleased to constitute four Central Councils as named below as successor bodies to the Central Council for Research in Indian Medicine & Homoeopathy Society to initiate, aid, guide, develop and coordinate scientific research in different aspects, fundamental and applied, of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems of medicine and cure :

1. Central Council for Research in Ayurveda & Siddha.
2. Central Council for Research in Unani Medicine.
3. Central Council for Research in Homocopthy.
4. Central Council for Research in Yoga & Naturopathy.

These Councils have been registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860. They shall be administered by the respective Governing Bodies consisting of official and non-official members as provided in the respective Memorandum of Association Rules, Regulations and Bye-laws of the Councils concerned.

The assets and liabilities including the employees working in the erstwhile Central Council for Research in Indian Medicine & Homoeopathy shall be appropriately allocated to the new Councils. The terms and conditions of services of the said employees including their existing benefits shall as far as practicable be protected by the new Councils to which their services are allocated.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. K. KARTHAK, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi the 12th December 1979

RESOLUTION

No. 7-6/74-FRY/FIPC.—In continuation of the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture & Cooperation) Resolution No. 7-6/74-FRY/FIPC dated 29-8-1978 reconstituting the Central Coordination Committee for State Forest Development Corporation, the Government of India have further decided to include the following official as Vice-Chairman of the said Central Coordination Committee for the purpose of its smooth and effective functioning. His inclusion will be shown after serial number 1 of the above-cited Resolution as indicated below :

Chairman

1. Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture & Cooperation).

Vice-Chairman

2. Additional Inspector General of Forests, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture & Cooperation).

Members

3. Managing Directors of States/U.Ts. Forest Development Corporations.
4. Joint Secretary (A&RD), Planning Commission, New Delhi.
5. Deputy Inspector General of Forests, Ministry of Agriculture & Irrigation, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.
6. Director (Finance), Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.
7. Director, Agriculture Refinance and Development Committee, Bombay.
8. Managing Director, Agriculture Finance Corporation Ltd., Bombay.
9. Deputy Secretary (Tribal Development), Ministry of Home Affairs, New Delhi.
10. Specialist (Life Science), Department of Science & Technology, New Delhi.
11. Chief Executive Officer, Logging Training Centres Project, Dehradun.
12. Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.
13. Managing Director, Karnataka Forest Industries Corporation Ltd., Bangalore.

Member-Secretary

14. Assistant Inspector General of Forests (FI), Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

2. The functions and rules of business of the Committee will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

ALSO ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. P. SRIVASTAVA
Inspector General of Forests &
Ex-officio Additional Secretary

New Delhi, the 15th December 1979

RESOLUTION

No. F. 3-42/79-F.II.—In continuation with the Andaman and Nicobar Islands Administration, the Government of India have decided to appoint a Committee to go into the whole question of encroachments on Forest as well as Revenue lands in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Shri M. K. Dalvi, Addl. I.G.F. Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

Members

2. Shri B. K. Sharma, Joint Secretary, Ministry of Rural Reconstruction, New Delhi.
3. Shri R. K. Rath, Joint Secretary, Land Reforms Department, Ministry of Rural Reconstruction, New Delhi.

4. Shri Lalthanzama,
Chief Conservator of Forests,
Andaman and Nicobar Islands,
Port Blair.

5. Shri M. S. Solanki, *Member-Convener*
Deputy Inspector General of Forests,
Department of Agriculture and Cooperation,
New Delhi.

Members

6. Shrimati Uma Pillai,
Deputy Secretary (ANL),
Ministry of Home Affairs,
New Delhi

7. Revenue Secretary,
Andaman and Nicobar Administration,

8. Deputy Commission,
Andaman District, Port Blair.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(1) To go into the whole question of encroachments in forest as well as revenue lands so as to cover the extent of encroachments and identification of causes leading to encroachments etc.

(2) To suggest remedial and preventive measures to contain the problem of encroachment.

(3) To suggest alternative sources of employment for the encroachers to be ejected from the encroached areas of Forest as well as Revenue Lands;

(4) To provide effective bye-laws for ejectment proceeding and clearing of encroachments on Forest as well as Revenue Lands.

3. The Committee is required to submit its report to the Government in 3 months i.e. within 29th February, 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Rural Reconstruction, Andaman and Nicobar Administration, Planning Commission, Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. NAIK, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. BOARD)

New Delhi, the 14th December 1979

RESOLUTION

No. E-12016/1/73-Hindi-A.—This Office Resolutions of even number dated the 16th November, 1978, 23rd May, 1979 and 6th October, 1979 are amended as follows :—

In para-I, under the heading "Composition" the following may be added :—

47. Dr. Raghu Nath Singh
Village Ajgara,
PO. Cholapur,
Distt. Varanasi (U.P.) *Member*

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. L. RAJAN, Secy.
P. & T. Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980